सत्यमेव जयते

पंचायती राज निर्वाचित प्रतिनिधियों और कार्मिकों

के लिए राष्ट्रीय क्षमता निर्माण रूपरेखा

पंचायती राज मंत्रालय
भारत सरकार
www.panchayat.gov.in

पंचायती राज निर्वाचित प्रतिनिधियों और कार्मिकों
के लिए राष्ट्रीय क्षमता निर्माण रूपरेखा

पंचायती राज मंत्रालय
भारत सरकार
www.panchayat.gov.in

Editing, design and printing by
New Concept Information Systems Pvt. Ltd.

भूमिका

1. पंचायतों को सामर्थ्यवान बनाने और स्थानीय सरकार संस्थानों के प्रभावी कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों और कार्मिकों का क्षमता निर्माण करना एक महत्वपूर्ण तत्व है। इस मामले पर दिसंबर, 2004 में जयपुर, राजस्थान में आयोजित पंचायती राज के राज्य मंत्रियों के सातवें गोलमेज सम्मेलन में चर्चा हुई थी। तदुपरांत पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) ने जुलाई, 2006 में एक राष्ट्रीय क्षमता निर्माण रूपरेखा (एनसीबीएफ) तैयार की जिसमें इस आशय के समग्र लक्ष्यों सहित एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है कि पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि अपने ज्ञान और कौशलों का स्तरोन्नयन कर सकें ताकि वे अपने दायित्वों का बेहतर ढंग से निष्पादन कर सकें, निर्वाचित प्रतिनिधियों से उभरने वाले विचारों के लिए और अधिक प्रभावी तकनीकी सलाहकार तथा कार्यान्वयनकर्ता बनने की दृष्टि से कार्मिकों को दिशा–अनुकूलित किया जा सके, स्थानीय निर्णय लेने के एक महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में ग्रामसभा के कार्यकरण में सुधार लाया जा सके और अंततः मीडिया, राजनैतिक दलों, विधायकों, सिविल समाज संस्थानों और नागरिकों को तथा समावेशी और सहभागितापूर्ण विकास के निमित्त पंचायती राज को स्थानीय सरकार के एक प्रभावी स्तर के रूप में स्वीकार करने और प्रोत्साहित करने के लिए संवेदीकृत किया जा सके।

2. इस रूपरेखा में प्रारंभिक क्रियाकलापों, प्रशिक्षण आधारिक–तंत्र के निर्माण, संसाधन व्यक्तियों के एक समूह का निर्माण, क्षमता विकास प्रयासों को बनाए रखने के लिए हाथ थामने के अपेक्षित क्रियाकलापों की सीमा, क्षमता निर्माण प्रयासों के कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण और मूल्यांकन के संभारतंत्र की आयोजना का वर्णन किया गया है। इसमें क्षेत्रों की एक श्रृंखला में जिसमें केन्द्र–प्रायोजित स्कीमें (सीएसएस) शामिल हैं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सुझाव दिया गया है जिसके साथ अवधि, क्रम–निर्धारण, लक्षित वर्ग और साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पूर्ति के लिए निर्देशात्मक समय–अवधियों, प्रशिक्षण संबंधी आधारिक–तंत्र और शिक्षाशास्त्रीय साफ्टवेयर का सुदृढ़ीकरण करने के लिए मानदंडों का सुस्पष्ट वर्णन किया गया है।

3. उसके बाद से पंचायती राज मंत्रालय ने राज्यों के अपने क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण योजनाओं की प्रविधियां तैयार करने, निधियां जुटाने तथा पंचायती राज मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन जैसेकि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ), राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना (आरजीएसवाई), पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान (पीएमईवाईएसए) तथा ग्रामीण कारोबार हब (आरबीएच) क्षमता निर्माण के कार्यान्वयन के लिए प्रविधियां तैयार करने में राज्यों की मदद करने की दिशा में अनेक प्रयास किए हैं। तथापि, क्षमता निर्माण प्रयासों को कार्यरूप देने में राज्यों का निष्पादन असमान रहा है। इस आशय के प्रयास आमतौर पर सविरामी और असतत प्रकार के बने रहे हैं जिनके अधीन अपर्याप्त रूप से सुसज्जित संसाधन व्यक्तियों द्वारा नेमी लेक्चरों से युक्त एकबारगी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। हालांकि कुछ राज्यों ने एनसीबीएफ द्वारा उपलब्ध कराए गए टेंपलेट (सांचा) के अनुसार योजनाएं तैयार की हैं लेकिन वे उन्हें समय–सूची के अनुसार कार्यान्वित नहीं कर पाए हैं। अनेक राज्यों में प्रशिक्षण और हाथ थामने के सतत पक्ष जैसेकि हेल्पलाइनों, समाचार–पत्रों की स्थापना तथा मध्यवर्ती पंचायती स्तर के संसाधन केन्द्रों का कार्यकरण शुरू नहीं हो सका है।

4. क्षमता निर्माण के इस प्रयास से संबंधित कुछ चिंताएं और मुद्दे निम्नानुसार हैंः

- दी गई समय–अवधि के भीतर हम परिप्रेक्ष्य योजनाएं कैसे तैयार और कार्यान्वित करते हैं?
- क्या क्षमता निर्माण कार्यक्रम आपूर्ति–चालित अथवा मांग–चालित होने चाहिए? कौनसे विकल्प बेहतर हैं?
- एसआईआरडी और एनजीओ के बीच किस तरह के संबंध होने चाहिए?
- निधियों के पड़े रहने की स्थिति को हम कैसे टाल सकते हैं?
- क्या हम मास्टर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए सही काम कर रहे हैं?
- हम दूरस्थ शिक्षा प्रणालियां कैसे जल्दी स्थापित और संचालित कर सकते हैं?
- प्रभाव आकलन करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है?

5. राज्यों, राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों (एसआईआरडी) तथा अन्य हितधारकों के साथ इस विषय पर 1–2 दिसंबर, 2008 को आयोजित एक बैठक में निम्न सिफारिशें की गईंः

- एसआईआरडी को चुस्त बनाया जाए। इस संबंध में आवश्यक उपाय सुझाने के लिए पंचायत राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी), शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी) आदि की एक समिति का गठन किया जाए।
- उद्देश्यों को अभिज्ञात करने के लिए एक संधारणीय तंत्र के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडी), एसआईआरडी तथा अन्य प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क का निर्माण किया जाए।
- सुचयनित और प्रशिक्षित मास्टर प्रशिक्षकों का एक राष्ट्रव्यापी समूह तैयार किया जाए।
- जिला और ब्लाक संसाधन–एवं–प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए जाएं।
- कंप्यूटर–आधारित स्व–अधिगम सामग्री सहित आदर्श पाठ्यचर्या और पाठ्य सामग्री तैयार करें।
- पंचायती राज के क्षेत्र में औपचारिक प्रमाणन।
- सैटकाम के कार्यान्वयन में बाधाओं पर काबू पाने के लिए एसआईआरडी तथा अंतरिक्ष विभाग के बीच समन्वय।
- सभी प्रशिक्षण परिप्रेक्ष्य योजनाएं अद्यतन बनाई जाएं और वार्षिक कार्यान्वयन योजना तैयार की जाए।
- अपेक्षतया पिछड़े हुए राज्यों को विख्यात प्रशिक्षण विशेषज्ञ उपलब्ध कराए जाएं।
- 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों और 10 लाख सरकारी कर्मचारियों के सतत प्रशिक्षण के लिए मौजूदा प्रणाली के विकल्प तत्काल ढूंढ़े जाएं।
- इस चुनौती को सतत आधार पर संभालने के लिए पंचायती राज मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्तशासी संस्थान स्थापित किया जाए। यह संस्थान पंचायती राज मंत्रालय के लिए एक चिंतन–कोश के रूप में भी काम कर सकता है।

6. क्षमता विकास की दिशा में प्रयास यूएनडीपी–समर्थित ''स्थानीय शासन के लिए क्षमता विकास (सीडीएलजी)'' नामक परियोजना के अधीन जिसके तहत राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय–दोनों पर बल दिया गया है, किए जा रहे हैं। यह परियोजना नीतिगत वार्ता और सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान–प्रदान को सुविधापूर्ण बनाने, सुदृढ़ीकरण और नेटवर्क निर्माण, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण संस्थानों, नीति निर्माताओं, कानून निर्माताओं और पंचायती राज (पीआरआई), उपलब्ध प्रशिक्षण सामग्री और प्रशिक्षकों के बारे में जानकारी को व्यवस्थित करने, कार्य अनुसंधान और प्रमुख दस्तावेजों तथा ज्ञानार्जन यात्राओं आदि को समर्थन प्रदान करती है। यह परियोजना

विशेष रूप से चुने हुए 7 राज्यों: बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में एनसीबीएफ के कार्यान्वयन पर विशेष रूप से बल देती है।

7. आशा है कि इस मंत्रालय के विभिन्न प्रयास पीआरआई के समग्र कार्यकरण में और आगे सुधार लाने के निमित्त देश में क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण संबंधी पहलकदमियों का सुदृढ़ीकरण करेंगे।

ए.एन.पी. सिन्हा
सचिव, पीआर
1.1.2010

विषय-सूची

अध्याय 1
रूपरेखा डिजाइन का परिचय तथा मूलभूत सिद्धांत 1

अध्याय 2
रूपरेखा के घटक और संभारतंत्र 7

अध्याय 3
रूपरेखा को कार्यरूप देने के लिए संसाधन व्यक्ति 23

अध्याय-4
रूपरेखा के लिए सामग्री का निर्माण 29

अध्याय-5
कार्यक्रम प्रबंधन, मूल्यांकन और पर्यवेक्षण के परिणाम 31

अध्याय 6
रूपरेखा के कार्यान्वयन की लागत का अनुमान 33

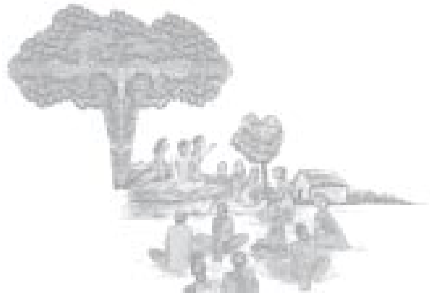

अध्याय 1

रूपरेखा डिजाइन का परिचय तथा मूलभूत सिद्धांत

1.1 प्रस्तावना

1.1.1 पंचायतों को संविधान में 11वीं अनुसूची में निर्दिष्ट 29 मामलों सहित शक्तियां और जिम्मेदारियां प्रत्यायोजित किए जाने का प्रावधान है। अधिकांश राज्यों ने राज्य पंचायती राज अधिनियम और नियमावली बना ली है जिसमें उन्होंने ऐसे विषयों का उल्लेख किया है जिनसे संबंधित कार्य पंचायतों को सौंपे जाएंगे। तथापि, सभी तीन स्तरों पर कार्यों, निधियों और कार्मिकों का सहवर्ती तथा एक साथ प्रत्यायोजन सुनिश्चित करने के लिए मुख्यतः क्रियाकलाप मानचित्रण की प्रक्रिया के माध्यम से प्रभावी प्रत्यायोजन किया जाना अभी भी बाकी है। सभी हितधारकों के समक्ष प्रस्तुत सबसे बड़ी चुनौती पंचायतों की क्षमता सुनिश्चित करना है जिससे कि वे उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारियों को प्रभावी रूप से अंजाम दे सकें। इस सुस्थापित तथ्य के बावजूद कि दायित्वों का निर्वाह अपने आपमें प्रशिक्षण की एक इष्टतम विधि है, कार्यों का प्रत्यायोजन न करना अथवा पंचायतों को सामर्थ्यविहीन बनाने के लिए प्रशिक्षण की कमी एक बहाना बनी हुई है।

1.1.2 संविधान के भाग IX के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पंचायतों की क्षमता पूरी तरह निर्मित की जानी जरूरी है। ऐसा करने के लिए प्रशिक्षण, उपयुक्त कार्मिकों, तकनीकी सहायता तथा पंचायतों के लिए अनेक तरह की सहायता का प्रावधान किया जाना होगा। जयपुर में दिसंबर, 2004 में आयोजित पंचायती राज के राज्य मंत्रियों के सातवें गोलमेज सम्मेलन में पंचायतों के सभी स्तरों पर निर्वाचित प्रतिनिधियों और कार्मिकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के विषय पर अनेक कार्यबिंदु अपनाए गए थे। ये कार्यबिंदु पंचायती राज के निर्वाचित प्रतिनिधियों और कार्मिकों के लिए एक राष्ट्रीय क्षमता निर्माण रूपरेखा (रूपरेखा) के डिजाइन के लिए आधार प्रस्तुत करते हैं जिनका उद्‌देश्य पंचायती राज में सभी हितधारकों, विशेष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों, अधिकारियों जैसेकि सरपंचों, उप–संरपंचों राज्य कानून के अधीन पंचायतों को प्रत्यायोजित विषयों से संबंधित स्थायी समितियों के अध्यक्षों और कार्मिकों की प्रभावी और संधारणीय क्षमता का व्यापक रूप से निर्माण करना है।

1.1.3 इस रूपरेखा का सबसे प्रमुख उद्‌देश्य यह है कि संविधान के भाग IX में बताए अनुसार पंचायतें सच्चे अर्थों में स्वशासन के संस्थान बन सकें। रूपरेखा के कार्यान्वयन का उद्‌देश्य पीआरआई के पक्ष में लोकतांत्रिक प्रत्यायोजन में एक जनमत तैयार करना है। इस कार्यक्रम का उद्‌देश्य इस आशय के गतिरोध को तोड़ना है कि क्या क्षमता निर्माण, कार्यों, निधियों और कार्मिकों के प्रत्यायोजन से पहले किया जाना चाहिए।

1.2 राष्ट्रीय रूपरेखा के उद्‌देश्य

एनसीबीएफ के 4 मूल उद्‌देश्य हैं:

1.2.1 इसका उद्‌देश्य पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों को इस योग्य बनाना है कि वे अपने ज्ञान और कौशलों का स्तरोन्नयन कर सकें जिससे कि वे पंचायतों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का बेहतर

ढंग से निर्वाह कर सकें। विशेष रूप से, इसका उद्देश्य विभिन्न कार्यक्रमों को विशेष रूप से जाति और लिंग की विषमताओं के बीच समानता से कार्यान्वित करने की प्रविधियों से परिचित कराना है। रूपरेखा के अधीन कार्यक्रम, पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों को पंचायती राज प्रणाली के तंत्र के माध्यम से स्वयं अपने हालात समझने तथा अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ़ने में समर्थ बनाएंगे। यह रूपरेखा उन्हें छोटे किंतु ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में जो वे स्वयं कर सकते हैं अथवा दूसरों द्वारा किए जाने को सुविधापूर्ण बना सकते हैं रचनात्मक ढंग से सोचने में समर्थ बनाएगी। साथ ही यह उन्हें पंचायत के कार्यकारी दायित्व के रोजमर्रा के निष्पादन के लिए अपेक्षित प्रचालनात्मक कौशलों से भी सुसज्जित करेगी।

1.2.2 पंचायतों को प्रत्यायोजित कार्यों से जुड़े हुए प्रमुख कार्मिकों तथा जो उनके अधीन निकट रहकर काम कर रहे हैं उन्हें समुचित दिशा–अनुकूलन प्रदान किए जाने की जरूरत है जिससे कि वे प्रत्यायोजित कार्यों के निष्पादन में पंचायतों की प्रभावी रूप से सेवा कर सकें तथा पंचायतों की सहायता कर सकें। एक तरफ तो ये कर्मचारी जिन विभागों की सेवा में लगे हुए हैं उनसे संबंधित विस्तृत तकनीकी ज्ञान के विशाल भंडार के परिचायक हैं और इसलिए वे पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों को सलाह देने तथा उन्हें अपना ज्ञान उपलब्ध कराने में एक महत्वपूर्ण सुविधाकारक भूमिका निभा सकते हैं तथा दूसरी तरफ ये कार्मिक निर्वाचित प्रतिनिधियों के ग्रासरूट स्तर के अनुभवों से ली गई शिक्षाएं ग्रहण करके अत्यधिक लाभान्वित होंगे जो स्थानीय स्तर की बारीकियों के अपने महत्वपूर्ण स्थानीय ज्ञान को, पारस्परिक वैचारिक आदान–प्रदान का विषय बनाएंगे। रूपरेखा के उद्देश्य इस प्रकार हैं: (i) इन कार्मिकों को इस प्रकार सुसज्जित करना ताकी बेहतर हो कि वे तकनीकी सलाहकारों और प्रशिक्षकों के रूप में काम कर सकें; तथा (ii) पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों के जमीनी स्तर के अनुभवों के प्रति आदर का भाव रखने, अधिक सुग्राही होने और उनसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए उन्हें दिशा–अनुकूलित करना।

1.2.3 इस रूपरेखा का उद्देश्य ग्राम सभा के प्रभावी कार्यकरण को प्रोत्साहित करने के माध्यम से ग्रासरूट स्तर के लोकतंत्र की परिपाटी की ताकत को बेहतर बनाना है। ऐसा करने से समुदाय के लिए, विशेष रूप से गरीबों को सहभागितापूर्ण आयोजना के माध्यम से अपनी मांगे प्रस्तुत करने, ऐसी योजनाओं के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने तथा सूचना के अधिकार तथा सामाजिक आडिट की व्यवस्थाओं के जरिए अपनी पंचायत को जिम्मेदार बनाने के लिए अवसर उपलब्ध होगा।

1.2.4 इस रूपरेखा में मीडिया, राजनैतिक दलों, विधान सभाओं के प्रतिनिधियों, सिविल समाज संगठनों और पंचायती राज को स्थानीय सरकार के एक प्रभावी स्तर के रूप में समझने वाले नागरिकों को सुग्राही बनाने की दिशा में विशेष प्रयास शामिल होंगे।

1.3 रूपरेखा के आधारिक मूल सिद्धांत

यह रूपरेखा निम्न मूल सिद्धांतों पर आधारित है।

1.3.1 रूपरेखा का कार्यान्वयन एक सतत और दीर्घकालीन प्रक्रिया है। क्षमता निर्माण प्रशिक्षण के कुछेक दोषपूर्ण तथा गैर–नियमित प्रसंगों तक सीमित नहीं रह सकता। यह एक बहुमुखी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य पंचायतों के प्रभावी कार्यकरण को बढ़ावा देना है। प्रशिक्षण इसका एक पक्ष है जिसे सभी संबंधित हितधारकों की सक्रिय सहभागिता से बदलाव और विकास की एक दीर्घकालीन तथा सतत प्रक्रिया के रूप में नियतकालिक आधार पर दोहराया जाना चाहिए।

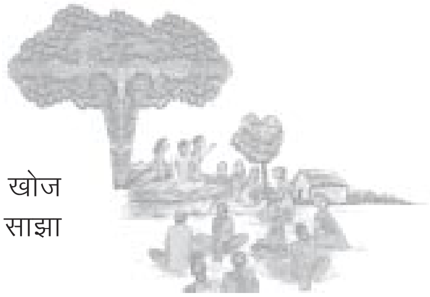

1.3.2 रूपरेखा के अधीन प्रशिक्षण का बल केवल जानकारी पर नहीं रहना चाहिए। यह अन्वेषण, खोज और उन्नति की एक प्रक्रिया है; एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें प्रशिक्षक और सहभागी एक साझा अंतः–अधिगम स्थिति में शामिल होते हैं, जिसमें दोनों का संवर्द्धन होता है।

1.3.3 प्रशिक्षण सभी समस्याओं का कोई तैयार हल प्रदान नहीं करता। प्रशिक्षकों को प्रत्येक कमी की पूर्ति करने, प्रत्येक प्रश्न का जवाब देने, प्रत्येक घटना की योजना बनाने तथा प्रत्येक समस्या से निपटने की जरूरत नहीं होती, लेकिन उन्हें प्रशिक्षणार्थियों के लिए अपनी स्थिति पर चिंतन और विश्लेषण करने और अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ़ने के लिए अवसर और समय अवश्य प्रदान करना चाहिए।

1.3.4 विभिन्न अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए पारस्परिक अधिगम, सम्मेलन और अवधारण ऐसे वातावरण में सर्वोत्तम होता है जो

- रुचि को बनाए रखने के लिए विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करता है;
- गैर–सोपानी और डराने वाला नहीं होता, लोगों को एक अनौपचारिक माहौल में सक्रिय होन के लिए प्रोत्साहित करता है;
- जहां प्रशिक्षक लेक्चरर नहीं बल्कि सुसाध्यकारी व्यक्ति, मित्र और सलाहकार होते हैं जोकि चिंतन को जागृत और प्रेरित कर सकते हैं और प्रशिक्षणार्थियों से आलोचना स्वीकार कर सकते हैं;
- जो व्यक्तिगत संभावनाओं और क्षमताओं की खोज को बढ़ावा देता है और सुविधापूर्ण बनाता है;
- लोगों के कभी–कभी गलती करने के अधिकार को स्वीकार करता है;
- भिन्नताएं स्वीकार करता है;
- खुलापन, आत्मसमान तथा पारस्परिक सम्मान को बढ़ावा देता है;
- प्रशिक्षणार्थियों के बीच मैत्री को बढ़ावा देता है तथा
- प्रशिक्षणार्थियों और प्रशिक्षकों को एक–दूसरे के निकट लाता है।

1.3.5 पंचायती राज प्रणाली के सभी सहभागी अपने साथ ग्रासरूट स्तर की वास्तविकता का अनुभव और जन्मजात बुद्धिमत्ता के संबंध में एक अत्यंत कुशाग्र ज्ञान लेकर आते हैं, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए और उसे उनके और आगे सीखने के आधार का निर्माण करना चाहिए। ऐसे अनेक वर्ग हैं जिन्हें विशेषज्ञतापूर्ण प्रशिक्षण की जरूरत है जैसेकि अनुसूचित जातियां (एससी), अनुसूचित जनजातियां (एसटी) तथा महिलाएं। सभी प्रशिक्षण प्रयासों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातीय समुदायों के सदस्यों, महिलाओं और सीमांत समूहों की ओर अनिवार्यतः विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। किसी भी सदस्य को भूल से भी उसकी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के कारण तिरस्कृत अथवा निंदित नहीं किया जाना चाहिए।

1.3.6 सहभागितापूर्ण पद्धतियां तनाव कम करती हैं और प्रभाविता बढ़ाती हैं। इसलिए प्रशिक्षण कार्यक्रम इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए कि ऐसे क्रियाकलापों के माध्यम से जो रुचिपूर्ण और प्रासंगिक हों, जो चिंतन और कार्य करने के लिए अवसर उपलब्ध कराते हों, सृजनात्मकता से जुड़े हों और उत्सुकता पैदा करते हों और साथ ही मानसिक कवायद और सही तरीके की चुनौती उपलब्ध कराते हों – केवल कुछेक बातूनी तथा धाक जमाने वालों की नहीं बल्कि सभी सदस्यों की सहभागिता सुनिश्चित करता हो।

1.3.7 प्रशिक्षण दल में एक से मानसिक सोच के व्यक्तियों का समूह शामिल होना चाहिए जिन्हें धर्मनिरपेक्ष मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के आधार पर चुना गया हो। प्रशिक्षण दल अपने

दृष्टिकोण में वस्तुनिष्ठ और गैर–निर्णायक होना चाहिए, एक ऐसा दल होना चाहिए जिसके साथ प्रशिक्षणार्थी खिल्ली उड़ाए जाने के डर के बिना खुलकर बातचीत कर सकें। प्रशिक्षण दल को सुसाध्यकारी व्यक्तियों, मित्रों और सलाहकारों के रूप में काम करना चाहिए जोकि चिंतन जागृत और प्रेरित कर सकें तथा प्रशिक्षणार्थियों की आलोचनाओं को स्वीकार कर सकें।

1.3.8 रूपरेखा की प्रक्रियाएं और संभारतंत्र, निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए अवश्य ही सुविधापूर्ण तथा जमीनी यथार्थ की दृष्टि से प्रासंगिक होना चाहिए। उसे पंचायत के सदस्यों, विशेष रूप से महिलाओं और सुविधावंचित समूहों के प्रतिनिधियों को इस योग्य बनाना चाहिए कि वे इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नियमित सहभागिता के जरिए स्वयं अपने हालात में यह समझ सकें कि अपने समग्र ज्ञानार्जन, अधिगम और ज्ञान को कैसे बढ़ा सकते हैं।

1.3.9 कार्यक्रम का उद्देश्य यह होना चाहिए कि एक सीमित अवधि के भीतर प्रारंभ में अधिकतम समावेशन किया जाए जिससे कि सभी हितधारक अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करने और अपना काम शुरू करने के लिए जल्दी से तैयार हो जाए।

1.3.10 पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पीईएसए) के लिए प्रशिक्षण जनजातीय लोगों की सांस्कृतिक परंपरा और विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाना चाहिए।

1.3.11 इस रूपरेखा को नियमित प्रभाव आकलन के आधार पर सतत रूप से विकसित और निर्मित होना चाहिए। प्रशिक्षण अवश्य ही एक दोतरफा प्रक्रिया बननी चाहिए जिससे कि फीडबैक प्रशिक्षण की अंतर्वस्तु और प्रक्रिया के सुधार के काम में लाया जा सके। फलतः इस प्रकार पंचायत और सरकारी कार्यकरण में व्यवस्थागत बदलाव उभर सकेंगे।

1.4 हितधारक

इस रूपरेखा का लक्ष्य निम्न हितधारकों तक पहुंचना हैः

1.4.1 निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों

पंचायतों के तीन स्तरों के लिए लगभग 22 लाख प्रतिनिधियों का चुनाव किया गया है। इनमें शामिल हैंः वार्ड सदस्य तथा क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र सदस्य, ऐसे सदस्य जिन्हें प्रधानों (सरपंच, मुखिया, अध्यक्ष) अथवा उप–प्रधानों (उप–सरपंच, उप–मुखिया, उपाध्यक्ष) के रूप में तथा स्थायी समितियों के अध्यक्षों के रूप में चुना गया है।

1.4.2 पंचायतों के साथ काम करने वाले कर्मचारी

ऐसा अनुमान है कि विभिन्न स्तरों पर लगभग 8 लाख महत्वपूर्ण कर्मचारी हैं जोकि पंचायतों से संबंधित अथवा उनके अधीन काम करते हैं। इनमें से अधिकांश को अपने संबंधित विभागों द्वारा असंतोषपूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त होता है क्योंकि ये विभाग अक्सर इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त निधियां अलग से नहीं रखते। उन्हें दिशा–अनुकूलन प्रशिक्षण की जरूरत होती है जिसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि पंचायत सदस्यों के प्रति उनके भीतर सही ढंग का सोच पैदा किया जा सके जिससे कि और अधिक सौहार्द्रपूर्ण संबंधों को बढ़ावा दिया जा सके और उन्हें पंचायतों द्वारा प्रस्तुत अवसरों का लाभ उठाने दिया जाए। इस तरह के कार्मिकों की प्रमुख श्रेणियां निम्नानुसार हैंः

- पंचायत सचिव
- कनिष्ठ इंजीनियर

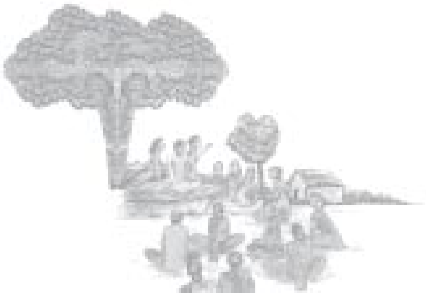

- आंगनवाड़ी कार्मिक (एडब्ल्यूडब्ल्यू)
- प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता
- जन स्वास्थ्य कार्यकर्ता
- पंचायत के अपने कर्मचारी जैसेकि बिल इकट्ठा करनेवाले और क्लर्क
- कृषि विस्तार कर्मचारी
- अध्यापक तथा शिक्षा प्रशासन कार्यकर्ता

1.4.3 ग्राम सभा के भीतर दबाव समूह

इनमें स्वयंसेवी समूह (एसएचजी) तथा समुदाय–आधारित संगठन (सीबीओ) शामिल हैं।

1.4.4 निर्वाचित प्रतिनिधि तथा सरकार के उच्च स्तर के कर्मचारी

कर्मचारी और व्यावसायिक संवर्गों के निर्वाचित प्रतिनिधि जैसेकि इंजीनियर और डाक्टरों को पंचायतों के लिए सुविधाकारक बनने के निमित्त संवेदीकृत किए जाने की जरूरत है। साथ ही एमएलए, एमपी जैसे नीतिनिर्माताओं, राजनैतिक नेताओं और मीडिया को भी संवेदीकृत किए जाने की अत्यधिक जरूरत है जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि वे पंचायतों की उन्नति के लिए एक पोषक वातावरण उपलब्ध करा सकें।

अध्याय 2

रूपरेखा के घटक और संभारतंत्र

2.1 प्रस्तावना

पंचायती राज के समुचित कार्यान्वयन में हितधारकों के क्षमता निर्माण को एक अलग–थलग प्रशिक्षण प्रक्रिया के रूप में नहीं समझा जा सकता। विकेन्द्रीकृत आयोजना और कार्यान्वयन के प्रति लक्षित ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के एक मजबूत साधन के रूप में पंचायती राज की अधिकारपूर्ण स्थिति सभी क्षमता निर्माण पहलकदमियों के भीतर व्याप्त होनी चाहिए। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि पंचायती राज शासकीय सुधार की एक महत्वपूर्ण आधारशिला है। इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए रूपरेखा का उद्देश्य प्रशिक्षण की अंतर्वस्तु को पृथक्कृत करना और प्रशिक्षण कार्यक्रम को तीन भागों में चरणबद्ध करना है जिसके ब्यौरे नीचे तालिका 1 में दिए गए हैं:

तालिका 1

	विषय	अन्योन्यक्रिया की विधि का वर्णन	कवर किया गया क्षेत्र (संक्षेप में)	कवर की गई श्रेणी	अवधि	पूर्ति के लिए समय–सीमा
भाग I	**पंचायती राज के कार्यान्वयन और बुनियादी कार्यों को सीखने के लिए सही मानसिक सोच निर्मित करना**	पाठ्यक्रम 1(क): आधारिक पाठ्यक्रम	पंचायती राज का विहंगावलकोन	निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधिः लगभग 22 लाख पंचायती राज कर्मचारीः लगभग 8 लाख	4 दिन	चुनाव के 20 सप्ताह के भीतर
		पाठ्यक्रम 1(ख): बुनियादी कार्यात्मक पाठ्यक्रम	आंतरिक गृह व्यवस्था कार्य जिसमें लेखा, सामाजिक आडिट, सूचना के अधिकार, पंचायत राजस्व की समझ शामिल है	सभी स्तरों पर पंचायतों के निर्वाचित नेता और स्थायी समितियों के अध्यक्ष (प्रति पंचायत 5): लगभग 10 लाख पंचायती राज कर्मचारीः लगभग 5 लाख	4 दिन	चुनाव के 20 सप्ताह के भीतर (आधारिक पाठ्यक्रम सहित, प्रत्येक पदाधिकारी 8 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त करेगा)
		पाठ्यक्रम 1(ग): कार्यात्मक साक्षरता पाठ्यक्रम	उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाए जिन्हें कार्यात्मक साक्षरता के प्रभावन की जरूरत है।	निरक्षर अथवा अर्द्ध–साक्षर निर्वाचित प्रतिनिधि (लगभग 8 लाख व्यक्ति)	1 महीना, अथवा जैसी जरूरत हो, बेहतर हो कि ग्राम स्तर पर ही व्यवस्था की जाए	6 महीने

भाग II	**आयोजना तथा कार्यान्वयन के लिए बुनियादी कौशल निर्माण**	पाठ्यक्रम II(क): क्षेत्रीय केन्द्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम	पंचायत के ऐसे कोर कार्यों को कवर करना जिनका उद्‌देश्य सेवाओं और विकासात्मक कार्यक्रमों की आपूर्ति की क्षमताओं में सुधार लाना है	निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधिः लगभग 22 लाख पंचायती राज के साथ जुड़े हुए कर्मचारीः लगभग 8 लाख	कम से कम 6 दिन (3–3 दिनों के दो चरण)	चुनाव के 40 सप्ताह के भीतर
		पाठ्यक्रम II(ख): कंप्यूटर प्रशिक्षण	पंचायत स्तर प्रशिक्षण के लिए बुनियादी कंप्यूटर कौशलों और चुनिंदा साफ्टवेयर में प्रशिक्षण	प्रति पंचायत कम से कम 2 व्यक्तिः लगभग 5 लाख	संसाधन केन्द्र से स्थानीय निकट सहयोग सहित कम से कम 6 दिन	52 सप्ताह के भीतर
भाग III	**पारस्परिक क्रिया और नेटवर्क निर्माण के माध्यम से मजबूत करना**	III(क): ग्राम सभा स्तरीय अभियान	जागरूकता सृजन	ग्राम सभा, एनजीओ, एसएचजी तथा सीबीओ	सप्ताह में कम से कम 3 दिन	वर्ष में कम से कम एक बार सभी ग्राम पंचायतों का समावेशन
		III(ख): पंचायती राज टीवी चैनल और रेडियो कार्यक्रम		सामान्य व्यक्ति	सप्ताह में कम से कम 3 दिन	अखिल भारतीय समावेशन
		III(ग): पंचायती राज सूचना–पत्र		पंचायती राज सदस्य तथा वैयक्तिक चंदा देने वाले	महीने में एक बार	सभी पंचायतें
		III(घ): पंचायती निर्वाचित प्रतिनिधियों के नेटवर्कों का निर्माण	अनुभव का आदान–प्रदान	निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधिः लगभग 22 लाख		चुनाव के बाद पहले वर्ष के भीतर
		III(ड.): वार्षिक पुनश्चर्या कार्यक्रम		निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधिः लगभग 22 लाख	कम से कम 4 दिन	बाकी 4 वर्षों में प्रतिवर्ष एक बार
		III(च): अभिज्ञात 'बीकन' पंचायतों के दौरे	कार्य स्थल प्रशिक्षण	पंचायतों के कम से कम 10 लाख निर्वाचित नेता	यात्रा को छोड़कर प्रत्येक के लिए कम से पूरा एक दिन	प्रति वर्ष कम से कम 2 ज्ञानार्जन दौरे
		III(छ): मध्यवर्ती पंचायत स्तरीय संसाधन केन्द्र	पंचायत–स्तरीय आयोजना और कार्यान्वयन के सहयोग के लिए दैनिक सहायता	निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधिः लगभग 22 लाख	प्रति कार्य दिवस	जब सदस्यों ने भाग I का प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो उसके 20 सप्ताह के भीतर शुरू किया जाए
		III(ज): हेल्पलाइन			प्रति कार्य दिवस में प्रतिदिन 16 घंटे	
		III(झ): प्रमाण–पत्र कार्यक्रम	अधिक गहन और शैक्षणिक अध्ययन	दिलचस्पी रखने वाले हितधारक	6 महीने का पाठ्यक्रम	प्रत्येक राज्य के लगभग 100 व्यक्तियों के लिए

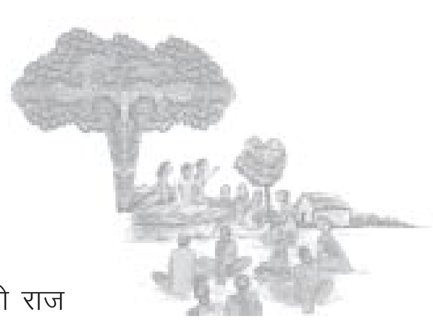

2.2 भाग I: रूपरेखा के भाग I के पाठ्यक्रमों का विवरण

भाग I में पाठ्यक्रमों का एक ऐसा समूह शामिल है जिसका उद्देश्य प्रत्येक सहभागी को पंचायती राज और कौशलों में एक बुनियादी आधार प्रदान करना है जोकि शुरूआत करने के लिए जरूरी होते हैं। भाग I, भाग II के प्रभावी समावेशन के लिए अपेक्षित ग्राहिता का भी निर्माण करेगा। भाग I में निहित पाठ्यक्रमों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

2.2.1 भाग I(क): बुनियादी आधारिक पाठ्यक्रम: पंचायती राज के कार्यान्वयन के लिए सही सोच का निर्माण करना

यह जरूरी है कि पंचायती राज से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के लिए चाहे वह निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि हो अथवा किसी भी स्तर का कर्मचारी हो, पंचायती राज के आदर्शों से पूरी तरह परिचित हो और उन पर विश्वास करता हो। जिस रूप में पंचायती राज आजकल कार्यान्वित किया जा रहा है उसके विनाश का कारण यह है कि इसे अक्सर विकास के मार्ग में आने वाली एक ऐसी असुविधा के रूप में अथवा ऐसी एजेंसियों के रूप में देखा जाता है जिन्हें ऊपर से संचालित विकास में किसी न किसी रूप में ''जोड़ा जा सकता है''। हालांकि पंचायतें कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में निश्चय ही मूल्य संवर्द्धन कर सकती हैं, उनकी मूल स्थिति स्वशासन की संस्थानों के रूप में होती है, स्वशासन की संवैधानिक वैधता वैसी ही होती है जैसी कि सरकार के अन्य स्तरों की और अपने निर्धारित क्षेत्रों के भीतर कार्य करने में उनसे भूमिका की उसी प्रकार की स्पष्टता तथा स्वायत्तता की अपेक्षा की जाती है। पाठ्यक्रम I(क) का लक्ष्य पंचायती राज को कार्यान्वित करने वाले लक्ष्यों और उद्देश्यों तथा इसकी विस्तृत भूमिका को लेकर सभी संबंधित व्यक्तियों के सोच का निर्माण करना है। यह पाठ्यक्रम ज्ञान प्रदान करने के अलावा इस तरह से तैयार किया गया है कि सहभागी चिंतन कर सकें और पंचायती राज कार्यान्वित करने में शक्तियों और दुर्बलताओं को समझने में समर्थ हो सकें। समग्र दृष्टिकोण यह है कि जैसे–जैसे सहभागी वर्तमान पर चर्चा करें और विवेचनात्मक ढंग से उसका विश्लेषण करें, उनके भीतर ऐसी आशा और आत्मविश्वास का एहसास उत्पन्न हो सके कि पंचायतों के माध्यम से बदलाव संभव है।

2.2.2 पाठ्यक्रम I(ख): बुनियादी आधारिक पाठ्यक्रम: पंचायत के सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को बुनियादी ''आरंभ'' कौशलों से सुसज्जित करना

आधारिक कार्यात्मक पाठ्यक्रम, आधारिक पाठ्यक्रम के सभी क्षेत्रों को कवर करेगा। यह गहन विशेष प्रशिक्षण पंचायतों के सभी स्तरों के निर्वाचित नेताओं तथा स्थायी समितियों के अध्यक्षों के लिए है जिनसे आधारिक पाठ्यक्रम के अलावा इन पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए अलग से कहा जाएगा। इस पाठ्यक्रम में कार्यकरण की बारीकियों पर बल रहेगा जैसेकि निर्माण कार्य मंजूर करना, बिलों पर हस्ताक्षर करना, हिसाब–किताब रखना तथा अन्य ऐसे कार्यकारी कौशल जोकि पदाधिकारियों के लिए काम करने की दृष्टि से जरूरी हैं। यह पाठ्यक्रम ग्राम तथा वार्ड सभा आयोजित करने, विकेन्द्रीकृत आयोजना, कार्यान्वयन की समीक्षा करने तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र तैयार करने और अग्रेषित करने जैसे कार्यात्मक और प्रचालनात्मक पक्षों को भी कवर करेगा।

2.2.3 पाठ्यक्रम I(ग): कार्यात्मक साक्षरता पाठ्यक्रम

पंचायत के जिन सदस्यों को इस तरह के पाठ्यक्रम की जरूरत है, चुनाव के तत्काल बाद उन्हें कार्यात्मक साक्षरता पाठ्यक्रम में भाग लेना होगा। ऐसा पाठ्यक्रम मुख्यत: स्थानीय समुदाय के स्वैच्छिक प्रयासों के जरिए चलाया जाएगा, जहां पंचायत सदस्यों के वास्ते कार्यात्मक साक्षरता कक्षाएं चलाने के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध साक्षर व्यक्तियों को संसाधन व्यक्तियों के रूप में सहयोजित किया जाएगा। ऐसी परिकल्पना की गई है कि युवा शक्ति अभियान के माध्यम से पंचायती राज प्रणाली के साथ जुड़े हुए नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस) इस तरह के प्रयास की अगुवाई करेंगे।

2.2.4 भाग I के लिए विस्तृत पाठ्यचर्या तैयार करने में जिम्मेदारियां

रूपरेखा के भाग I में निहित तीनों पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या, स्थानीय दृष्टि से प्रासंगिक बारीकियों में राज्य–वार भिन्नताओं के जरिए संवैधानिक स्थिति जैसे राष्ट्रीय साझा पक्षों से पंचायती राज के डिजाइन पक्षों को कवर करेगी। इसलिए यह पाठ्यचर्या उच्च स्तरीय स्थानीय नमनशीलता बनाए रखते हुए भी कतिपय स्थूल मानकों की पूर्ति करेगी। साझेपन और स्थानीय भिन्नता की मात्रा संबंधित पाठ्यक्रम पर निर्भर करेगी। प्रचालनात्मक अर्थों में यह, निम्नानुसार रूपांतरित होगी:

(क) राष्ट्रीय स्तर पर तैयार की गई एक ऐसी न्यूनतम कोर पाठ्यचर्या जोकि राज्यों के बीच साझा होगी

(ख) राज्य स्तरीय पाठ्यचर्या पंचायती राज के प्रति संबंधित राज्य की नीति और दृष्टिकोण (जैसेकि पंचायतों को प्रत्यायोजित कार्यों की मात्रा) पर केन्द्रित होती हुई, कोर पर विस्तारित होती है

(ग) एक स्थानीय (जिला) स्तरीय डिजाइन जोकि संबंधित जिले की विशिष्ट समस्याओं का ध्यान करता है

भाग I का डिजाइन विभिन्न हितधारकों के बीच निकट समन्वय की अपेक्षा करेगा। पाठ्यचर्या तैयार करने में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और जिला प्रशिक्षण दल (एनजीओ और सीबीओ सहित) की जिम्मेदारियों के ब्यौरे और साथ ही तालिका II में यथानिर्दिष्ट भाग I के संबंध में स्वयं पाठ्यचर्या से संबंधित ब्यौरे देने वाला एक क्रियाकलाप मानचित्रण।

2.2.5 भाग I की प्रशिक्षण प्रविधियां और कार्यान्वयन के लिए संभारतंत्र

2.2.5.1 भाग I के कार्यान्वयन की मात्रा अभूतपूर्व है – प्रशिक्षकों अथवा प्रशिक्षणार्थियों अथवा दोनों रूपों में लगभग 35 लाख व्यक्ति इसमें शामिल होंगे। इन सभी को अधिक से अधिक 6 महीने के भीतर ख्पाठ्यक्रम I(क) तथा I(ख) के लिए 20 सप्ताह और पाठ्यक्रम I(ग) के लिए 26 सप्ताह, कवर किए जाने की जरूरत है। विशाल लक्षित समूह और कठोर समय–सीमाओं पर विचार कर लेने के बाद संभारतंत्र का निर्देश है: बड़े पैमाने पर शुरू किए जाने का एक तंत्र जैसेकि एक उपग्रह अथवा दूरस्थ प्रशिक्षण; तथा (ख) आमने–सामने पद्धति के सहभागितापूर्ण प्रशिक्षण के माध्यम से गहन स्थानीय समर्थन और सुविधाकरण। साझा फिल्मों और प्रस्तुतियों पर आधारित दूरस्थ पद्धति को बारी–बारी से उपग्रह पर स्थानीय विचार–विमर्श, वैचारिक आदान–प्रदान सत्रों और उनके बाद प्रश्नोत्तर सत्रों को जोड़ने के निम्न लाभ होंगे:

(क) इससे राज्य–विशिष्ट स्तर पर अंतर्वस्तु का स्थूल मानकीकरण हो जाता है

(ख) इससे व्यापक प्रसार तथा त्वरित कवरेज हो जाता है।

(ग) स्थानीय वैचारिक आदान–प्रदान, प्रारंभिक उपग्रह–आधारित सत्र के माध्यम से व्यक्त संदेश को स्थानीय दृष्टि से प्रासंगिक पाठों और अभ्यासों में अनुकूलित कर सकता है।

(घ) अन्योन्यक्रियापूर्ण पद्धति के माध्यम से समस्याओं का आदान–प्रदान करने से सहभागियों के बीच समुदाय की भावना निर्मित होती हैं हालांकि वे आमने–सामने नहीं होते, तथा

(ड.) उपग्रह प्रशिक्षण लागतें भी कम रखी जाती हैं क्योंकि पंचायत सदस्यों को प्रशिक्षण स्थल के लिए बहुत लंबी यात्रा करने की जरूरत नहीं रहती।

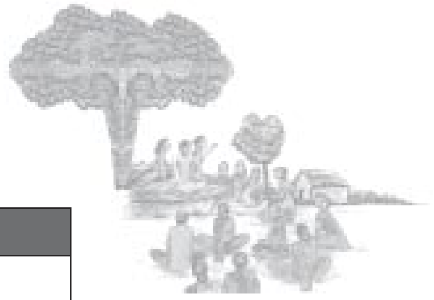

तालिका 2

केन्द्रीय सरकार	राज्य सरकार	जिला प्रशिक्षण दल
पाठ्यक्रम I(क), I(ख) (आधारिक पाठ्यक्रम तथा बुनियादी कार्यात्मक पाठ्यक्रम)		
क. पंचायती राज के राष्ट्रीय साझा पक्षों को कवर करने वाली बुनियादी सामग्री तैयार करना (i) पंचायती राज तथा विशेष रूप से आरटी कार्यबिंदुओं के संदर्भ में मौजूदा स्थिति के बारे में संवैधानिक प्रावधान (ii) भारत के संविधान से उभरने वाले धर्मनिरपेक्षता, समानता और मानव अधिकार के सिद्धांत (iii) लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय की सामान्य जागरूकता (iv) मानव विकास की स्थिति (v) निर्धनता उपशमन (vi) सहभागितापूर्ण आयोजना (vii) कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण (viii) सूचना का अधिकार तथा पारदर्शिता और सामाजिक आडिट (ix) ग्राम सभा के नियमित आयोजन का महत्व ख. पंचायती राज के कार्यान्वयन में राज्यों की तुलनात्मक स्थिति ग. भारत सरकार से पंचायतों को जाने वाली निधियों के संबंध में बुनियादी जानकारी घ. लेखाओं के रखरखाव सहित पंचायत स्तर के वित्तीय प्रबंधन का बुनियादी सिंहावलोकन ड. पंचायतों की अपने राजस्व और उसे इकट्ठा करने की जरूरत के महत्व की जानकारी च. पीईएसए के प्रावधानों की जानकारी	पंचायती राज को कवर करने वाले राज्य पंचायती राज अधिनियम और नियमों और विनियमों की प्रमुख विशेषताएं अन्य बातों के साथ–साथ लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय और निर्धनता उपशमन कवर करते हुए राज्य में मानव विकास की स्थिति का सिंहावलोकन सहभागितापूर्ण आयोजना, विशेष रूप से जिला स्तरीय आयोजना के प्रति स्थूल दृष्टिकोण तथा योजनाओं के जिला स्तरीय योजना के रूप में समेकन से संबंधित राज्य विशिष्ट ब्यौरे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण के तत्व सूचना के अधिकार, पारदर्शिता और सामाजिक आडिट के प्रति राज्यों के दृष्टिकोण का सिंहावलोकन पंचायत स्तर पर लेखाओं के रखरखाव से संबंधित राज्य–विशिष्ट प्रावधान स्वयं अपने संसाधनों के प्रबंध और लेखांकन के राज्य–विशिष्ट ब्यौरे संगत नियमों जैसेकि प्रत्यायोजन आदेश, पीडब्ल्यूडी कोड, प्रतिहस्ताक्षर के नियम, राजकोष कोड आदि के राज्य विशिष्ट ब्यौरे	जिले के भीतर पंचायती राज के कार्यान्वयन के ब्योरे (जैसेकि सदस्यों की संख्या, उनकी अर्हताएं आदि) आयोजना और कार्यान्वयन से संबंधित जिला–विशिष्ट प्रश्नों का उत्तर देना जिले के संदर्भ में कार्यक्रमों के क्षेत्रीय कार्यक्रमों का सिंहावलोकन साम्य को प्रोत्साहित करने में पंचायतों की भूमिका जिला योजना तैयार करने में प्रत्येक पंचायत के स्तर पर सूक्ष्म आयोजना सहभागितापूर्ण ग्रामीण मूल्यांकन (पीआरए) प्रक्रियाओं के तकनीक

पाठ्यक्रम I(ग): कार्यात्मक साक्षरता पाठ्यक्रम

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के लिए यथानिर्मित साक्षरता से संबंधित बुनियादी सामग्री एनवाईकेएस द्वारा यथानिर्मित डिजाइन आदि	साक्षरता पर राज्य–विशिष्ट सामग्री	साक्षरता कार्यक्रम के लिए तैयार की गई जिला–स्तरीय सामग्री

ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

2.2.5.2 अन्योन्यक्रियापूर्ण उपग्रह प्रशिक्षण

अन्योन्यक्रियापूर्ण उपग्रह–आधारित प्रशिक्षण प्रशिक्षणार्थियों द्वारा देखे जाने के लिए विशिष्ट केन्द्रों में कार्यक्रमों को प्रसारित करने के लिए एक समर्पित उपग्रह चैनल (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अथवा आईएसआरओ द्वारा उपलब्ध) का प्रयोग करता है। प्रत्येक ग्राही केन्द्र वापिस बात करने की सुविधा (या तो टेलीफोन कनेक्शन के माध्यम से अथवा स्वयं उपग्रह चैनल पर) से सुसज्जित भी होता है जोकि प्रशिक्षणार्थियों को केन्द्रीय स्टुडियो में बैठे हुए संसाधन व्यक्तियों से सवाल पूछने में समर्थ बनाता है। इस तरह के स्टुडियो–आधारित संसाधन व्यक्तियों द्वारा दिए गए उत्तर समूचे नेटवर्क पर सुने जा सकते हैं। इस तरह के उपग्रह संचरण को जब आमने–सामने सहभागितापूर्ण प्रशिक्षण प्रविधि से जोड़ दिया जाता है तो एक परस्पर मिश्रित कार्यक्रम उपलब्ध होता है जिसमें केन्द्रीय श्रृव्य–दृश्य कार्यक्रम द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रेरकों को स्थानीय प्रशिक्षण केन्द्रों में समुचित रूप से दिशा–अनुकूलित संसाधन व्यक्तियों द्वारा उपलब्ध कराए गए सुविधाकरण के साथ मिला दिया जाता है। इस संयुक्त दृष्टिकोण के माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों को बहुत बड़ी संख्या में तेजी से और प्रभावी रूप से कवर किया जा सकता है। समूह की जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण को स्थानीय रूप से केन्द्रित भी किया जा सकता है। प्रशिक्षण की शुरूआत सामूहिक चर्चाओं में सहभागियों के बीच अनुभवों के आदान–प्रदान के साथ की जा सकती है। खेलों, अभ्यासों, पंचायतों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी तस्वीरों तथा अन्यत्र संबंधित क्षेत्रों के समावेशन सहित सत्रों को रुचिपूर्ण और ध्यानाकर्षक बनाया जा सकता है जिससे कि वे और अधिक दिलचस्प तथा लंबे समय तक प्रभाव डालने वाले बन सकें। इन लाभों को ध्यान में रखते हुए रूपरेखा का उद्देश्य यह है कि उपग्रह प्रशिक्षण के लिए अपेक्षित आधारिक–तंत्र रखने वाले सभी राज्यों को कवर किया जाए, जिसमें उपग्रह स्टुडियो तथा ग्राही केन्द्र अनिवार्यतः शामिल होंगे (टेलीविजन, उपग्रह डिश, टेलीफोन, अबाधित पावर सप्लाई सिस्टम तथा विधि निर्माण कार्य)।

2.2.5.3 स्थानीय आमने-सामने प्रशिक्षण

ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों और कर्मचारियों के लिए सभी बुनियादी प्रशिक्षण जहां तक संभव हो सके उसी ब्लाक/मध्यवर्ती पंचायत क्षेत्र में आयोजित किए जाने चाहिए जिसमें ग्राम पंचायत स्थित है। इस तरह का प्रशिक्षण, सरकार द्वारा ब्लाक के भीतर विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों को पहले से उपलब्ध कराए गए मौजूदा नेटवर्क का प्रयोग कर सकता है। प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए स्कूल इमारतों अथवा समुदाय केन्द्रों जैसे स्थानीय आधारिक–तंत्र का प्रयोग किया जा सकता है।

स्थानीय आमने–सामने प्रशिक्षण इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से दिशा–अनुकूलित संसाधन व्यक्तियों के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। पूर्ण सहभागिता और ध्यान सुनिश्चित करने के लिए यह सुझाव है कि प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र के लिए 5 संसाधन व्यक्ति नियुक्त किए जाएं। प्रत्येक क्लासरूम सत्र की क्षमता एक समय में 20 सहभागियों तक सीमित रखने का विचार है। इन गणनाओं के आधार पर आवश्यक संसाधन व्यक्तियों की संख्या 30000 बैठेगी। इसके ब्यौरे अध्याय 3 में दिए गए हैं।

2.2.5.4 उपग्रह और आमने-सामने प्रशिक्षण को मिलाना

स्थानीय संसाधन व्यक्तियों द्वारा सुविधाकृत दूरस्थ उपग्रह प्रसारण को स्थानीय प्रशिक्षण के साथ जोड़ते हुए एक प्रस्तावित नमूने का वर्णन नीचे तालिका 3 में किया गया है:

तालिका 3

क्रियाकलाप	एजेंसी	संबंधित प्राधिकारियों की जिम्मेदारियां
फिल्म का परिचय	प्रशिक्षण केन्द्रों पर मौजूद संसाधन व्यक्ति	प्रशिक्षण केन्द्रों में मौजूद संसाधन व्यक्ति फिल्म के बारे में एक संक्षिप्त परिचियात्मक वर्णन करेंगे अथवा पहले से यह बताए बिना कि फिल्म क्या है एक परिचयात्मक क्रियाकलाप आयोजित करेंगे।
फिल्म का प्रदर्शन	उपग्रह प्रसारण	फिल्म उपग्रह केन्द्र के माध्यम से प्रदर्शित की जाती है। प्रशिक्षण केन्द्रों में स्थित संसाधन व्यक्ति यह सुनिश्चित करते हैं कि फिल्म को देखने के लिए उपग्रह प्रसारण से पूर्व टीवी सेट को 5 मिनट के लिए खोल दिया जाता है।
सामान्य प्रतिक्रियाएं	प्रशिक्षण केन्द्रों में मौजूद संसाधन व्यक्ति	फिल्म के प्रदर्शन के बाद पहले 5–10 मिनट सहभागियों की सामान्य प्रतिक्रियाओं के लिए होते हैं। प्रशिक्षण केन्द्र में मौजूद संसाधन व्यक्ति सहभागियों को अलग–अलग तौर पर फिल्म के 3 महत्वपूर्ण कथनों अथवा दृश्यों को अभिज्ञात करने और एक छोटे से समूह के बीच उनका आदान–प्रदान करने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। इसके बाद एक पूर्ण सत्र आयोजित किया जा सकता है जिसमें सहभागी उनके द्वारा अभिज्ञात विषयों पर चर्चा करेंगे। ऐसा करने से सहभागियों को फिल्म को अपने दिमाग में बिठाने, निमग्न हो जाने और गहरे बैठ जाने का अवसर प्रदान करता है।
सुविधाकृत विचार–विमर्श / क्रियाकलाप	प्रशिक्षण केन्द्रों में मौजूद संसाधन व्यक्ति	प्रत्येक फिल्म एक प्रशिक्षण पैकेज के साथ आती है जिसमें संसाधन व्यक्तियों द्वारा सुविधाकृत विषयों अथवा क्रियाकलापों का एक सेट शामिल रहता है जिससे कि सहभागियों को फिल्म से आगे बढ़ने और ऐसे उपायों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए जो वे अपनी परिस्थितियों में से ले सकते हैं। संसाधन व्यक्तियों को विचार–विमर्श को कतिपय दिशाओं में मोड़ने के तकनीक भी प्रदान किए जाते हैं। रुचि बनाए रखने के लिए खेल और क्रियाकलाप भी किए जा सकते हैं।
प्रश्नोत्तर सत्र	उपग्रह प्रसारण	सहभागी सेटकॉम स्टुडियो में पैनल सदस्यों से प्रश्न पूछ सकते हैं अथवा सामान्य प्रतिक्रियाओं और सुविधाकृत चर्चाओं के दौरान उभरे विचारों पर चर्चा कर सकते हैं। साथ ही पैनल सदस्य 2–3 मुद्दों पर चर्चा आरंभ कर सकते हैं।

2.2.5.5 मिश्रित समूहों में प्रशिक्षण

जबकि प्रत्येक श्रेणी को अलग–अलग प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के एक आसान डिजाइन की आवश्यकता होती है, मिश्रित समूह को प्रशिक्षण प्रदान करने के लाभ इससे जुड़े प्रयासों का औचित्य सिद्ध करते हैं। पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए समुचित ध्यान दिए जाने पर, विभिन्न हितधारकों को इकट्ठे प्रशिक्षित करने से एक भयविहीन और अनौपचारिक माहौल में उनके बीच मेलजोल निर्मित हो जाता है और इस तरह के प्रशिक्षण से उन्होंने एक–दूसरे के प्रति जो पूर्व–कल्पित धारणाएं बनाए रखी होती हैं, उनका निराकरण हो जाता है। पंचायत सदस्यों के साथ कर्मचारियों का प्रशिक्षण पंचायत सदस्यों के संदर्भ में उनकी भूमिका से जुड़े संदेहों के निराकरण, इस आशय के भय का निराकरण कि वे पंचायतों द्वारा दमनात्मक तथा अनिश्चयात्मक अनदेखी का शिकार होंगे तथा इस आशय के भय को दूर करने के लिए जरूरी है कि वे कहीं ऊंचे स्तर के लिए जवाबदेह होंगे। ऐसी परिकल्पना की गई है कि पाठ्यक्रम I(क) तथा I(ख) – दोनों निर्वाचित प्रतिनिधियों और कर्मचारियों के मिश्रित समूह के होंगे। निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के लिए दिशा–अनुकूलन पाठ्यक्रम के साथ–साथ ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए विशेष दिशा–अनुकूलन पाठ्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। संयुक्त प्रशिक्षण के लिए नीचे बताए अनुसार अन्य मिश्रित समूहों का सृजन भी किया जा सकता है।

(क) दूसरी बार वाले सदस्य और बीकन पंचायतों के सदस्य

जो पंचायत सदस्य दोबारा से चुने जाते हैं और ऐसी पंचायतों के सदस्य जिनके कार्यकरण का उत्तम रिकार्ड रहा है, उन्हें इस कार्यक्रम के लिए अभिज्ञात किया जाएगा। समग्र उद्देश्य यह है कि पंचायत के इन प्रतिनिधियों के लिए आगे वर्णित व्यवस्था की जाए: (क) अपने अनुभवों और उत्तम परिपाटियों का आदान–प्रदान; तथा (ख) एक–दूसरे के साथ नेटवर्क निर्माण जिससे कि ज्ञान का एक साझा भंडार निर्मित हो सके। इस तरह के प्रशिक्षण में क्षेत्रीय दौरे भी शामिल किए जा सकते हैं।

(ख) जीपी सरपंचों और सचिवों का संयुक्त प्रशिक्षण

जीपी सरपंच आमतौर पर इन बातों के लिए जिम्मेदार होते हैं: (क) भुगतान किए जाने से पहले बिलों को मंजूर करना; (ख) इससे पहले कि किसी सार्वजनिक कार्य की पैमाइश स्वीकार की जाए, उस पैमाइश की जांच करना; (ग) विकासात्मक कार्यों के लिए प्रशासनिक मंजूरियां प्रदान करना; (घ) ग्राम पंचायत का समुचित कार्यकारी और वित्तीय प्रबंध सुनिश्चित करना; तथा (ड.) राशि निकालने के लिए सचिव के साथ चेकों पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करना। ग्राम पंचायत सचिव इन बातों के लिए जिम्मेदार होते हैं: (क) रिकार्डों और संपत्तियों की समुचित अभिरक्षा; (ख) लेखा–परीक्षा आपत्तियों का समाधान करना; (ग) बजट तैयार करना और प्रस्तुत करना; तथा (घ) जीपी स्टाफ के कार्य की निगरानी रखना। जीपी पदाधिकारियों और सचिवों का संयुक्त प्रशिक्षण उन्हें पारस्परिक जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से समझने में समर्थ बनाएगा।

(ग) पंचायत के विभिन्न स्तरों के सदस्य

यह कार्यक्रम जिला, मध्यवर्ती और ग्राम पंचायत के सदस्यों को इकट्ठा करेगा जिससे कि वे पंचायती राज में एक–दूसरे की भूमिकाओं और निकट समन्वय की जरूरत को बेहतर ढंग से समझ सके। एक ही विषय पर और आगे की भिन्नताओं में पंचायतों की स्थायी समितियों के सदस्यों और अध्यक्षों का विभिन्न स्तरों पर एक–साथ प्रशिक्षण शामिल किया जा सकता है।

(घ) विभिन्न स्तरों से लिए गए स्टाफ का प्रशिक्षण

इस प्रशिक्षण का उद्देश्य पंचायती राज से जुड़े हुए स्टाफ के बीच सहयोग भावना पैदा करना और इस बिंदु पर बल देना है कि पंचायत राज आत्मनिर्भरता और विकास के विशाल लक्ष्य का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य पंचायती राज के अनुरूप भिन्न कार्य संस्कृति और नैतिकता का सृजन करना है। साथ ही यह कार्यक्रम विभिन्न जिलों में अलग–अलग अधिकारियों द्वारा सुविधाकृत उत्तम परिपाटियों के आदान–प्रदान और प्रसार के लिए एक मंच भी उपलब्ध कराएगा।

(ड.) इंजीनियरी, लेखा–परीक्षा और लेखांकन स्टाफ

इसका उद्देश्य ''परियोजनाओं'' के सामाजिक, आर्थिक और मानवीय प्रभावों को लेकर इंजीनियरी, लेखांकन और लेखा–परीक्षा स्टाफ के बीच बेहतर समझ को बढ़ावा देना है। यह प्रशिक्षण सहभागियों को विभिन्न कार्यक्रमों की आयोजना और कार्यान्वयन में पंचायतों की बढ़ी हुई शक्तियों से अवगत कराएगा। यह कार्यक्रम इससे पूर्व कि भुगतान के लिए पैमाइश की जाए ग्राम सभा द्वारा पारदर्शिता और प्रमाणन के महत्व पर बल देगा। प्रशिक्षण सहभागियों को कार्यों के कार्यान्वयन से संबंधित प्रलेखन से भी परिचित कराएगा।

2.3 रूपरेखा के भाग II में शामिल पाठ्यक्रमों का वर्णन

2.3.1 पाठ्यक्रम II(क): क्षेत्रीय रूप से केन्द्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम

2.3.1.1 रूपरेखा का भाग II सेवा आपूर्ति पर अतिरिक्त बल देते हुए कार्यक्रम आयोजना और कार्यान्वयन के विभिन्न पक्षों को समाहित करते हुए क्षेत्रीय प्रशिक्षण पर ध्यान केन्द्रित करता है। आयोजना और कार्यान्ववन के लिए केन्द्रित स्थानीय स्वशासनों के रूप में पंचायतों की भूमिका प्रशिक्षण का एक विशिष्ट विषय होगा। जबकि 11वीं सूची में निहित सभी मामले आदर्शतः शामिल किए जा सकते हैं, यह सुझाव है कि प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाए और कोर कार्यों से संबंधित सीएसएस पंचायतों द्वारा कार्यान्वित की जाए। ऐसी स्कीमों और जो क्षेत्र भाग II में कवर किए जा सकते हैं उनका प्रारंभिक सूचीकरण नीचे तालिका 4 में दिया गया है।

तालिका 4

क्षेत्र		स्कीम	केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग
प्रारंभिक शिक्षा	1	सर्व शिक्षा अभियान	प्रारंभिक शिक्षा विभाग
	2	मध्याहन भोजन स्कीम	
प्रौढ़ शिक्षा	3	समग्र साक्षरता अभियान	
जन स्वास्थ्य	4	पेयजल मिशन	पेयजल आपूर्ति विभाग
	5	समग्र स्वच्छता अभियान	
स्वास्थ्य	6	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	स्वास्थ्य मंत्रालय
बाल–कल्याण	7	समेकित बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस)	एचआरडी मंत्रालय, महिला और बाल कल्याण विभाग
निर्धनता उपशमन	8	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एसजीआरवाई) सहित	ग्रामीण विकास मंत्रालय
	9	स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)	
ग्रामीण आवास	10	इंदिरा आवास योजना (आईएवाई)	
ग्रामीण सड़कें	11	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)	
ग्रामीण विद्युतीकरण	12	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	विद्युत मंत्रालय
	13	दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम	गैर–परंपराग ऊर्जा मंत्रालय
जनजातीय विकास	14	जनजातीय उप–योजना	जनजातीय कल्याण मंत्रालय
प्राकृतिक संसाधन प्रबंध	15	हरियाली	ग्रामीण विकास मंत्रालय
	16	कृषि मंत्रालय की जल विभाजक स्कीमें	कृषि मंत्रालय
उद्योग तथा ग्रामीण कारोबार हब	17	विभिन्न स्कीमें	खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय

आयोजना, कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण और पर्यवेक्षण, प्रकटन और लेखांकन सेवा आपूर्ति के संदर्भ में स्पष्ट किए जाएंगे। स्कीमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एकजुट होकर काम करने की पीआरआई की जरूरत भी स्पष्ट की जाएगी।

2.3.1.2 पाठ्यक्रम II(क) के लिए पाठ्यचर्या

पाठ्यक्रम II(क) के अधीन प्रशिक्षण की परिकल्पना अन्योन्यक्रियापूर्ण प्रक्रियाओं की एक ऐसी श्रृंखला के माध्यम से की गई है जोकि पंचायतों और उनके स्टाफ की कार्यान्वयन की प्रविधियों का कदम–दर–कदम मार्गदर्शन करेगी। कोर पाठ्यचर्या चुनिंदा एसआईआरडी तथा एनजीओ जिनका प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्मित और आयोजित करने में उत्तम रिकार्ड रहा है के प्रतिनिधियों द्वारा कार्यशाला पद्धति में निर्मित की जा सकती है। कवर किए गए प्रत्येक क्षेत्र अथवा स्कीम के संबंध में यह नीचे तालिका 5 में बताए अनुसार निम्न पक्षों को कवर करेगी:

तालिका 5

5(क): आयोजना					
1	स्कीम के मार्गनिर्देशों अथवा संबंधित कानून का व्यापक सिंहावलोकन	2	संबंधित सेवा के लिए एक सहभागितापूर्ण योजना तैयार करना	3	पंचायत स्तर पर परियोजनाओं की सूची का प्राथमिकता निर्धारण
4	पंचायत योजना की छानबीन और मंजूरिया प्राप्त करना	5	विभिन्न कार्यक्रमों का अभिसरण कैसे किया जाए, इसके उदाहरण	6	कार्यों के शेल्फ तैयार करना और उन्हें अद्यतन बनाना
		7	पंचायत–स्तरीय योजनाओं का जिला स्तरीय योजनाओं में समेकन		

5(ख): कार्यान्वयन					
1	लाभग्राही चयन	2	नामावली रोल रखना	3	मजदूरी का भुगतान

5(ग): पर्यवेक्षण और पर्यवेक्षण					
1	कार्य की पैमाइश	2	गुणवत्ता नियंत्रण	3	किए गए कार्य का प्रमाणन
		4	वार्षिक रिपोर्टें तैयार करना		

5(घ): प्रकटन					
1	सूचना के अधिकार के अधीन दायित्वों की पूर्ति करना	2	कार्यों के ब्यौरों का सार्वजनिक निदर्शन	3	सामाजिक आडिट का आयोजन
		4	शिकायत निवारण		

5(ड.): लेखांकन					
1	पंचायत लेखांकन का सिंहावलोकन	2	सांविधिक रजिस्टर रखना	3	पंचायत निधियों का प्रबंध
4	राजकोष क्रियाविधियां	5	बैंक क्रियाविधियां	6	लेखा–परीक्षा का आयोजन

2.3.1.3 पाठ्यक्रम II(क) के लिए विस्तृत पाठ्चर्या तैयार करने में जिम्मेदारियां

पाठ्यक्रम II(क) से संबंधित पाठ्यचर्या तैयार करने में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और जिला प्रशिक्षण दल की जिम्मेदारियों के ब्यौरे दर्शाने वाला एक क्रियाकलाप मानचित्रण नीचे तालिका 6 में निर्दिष्ट किया गया है।

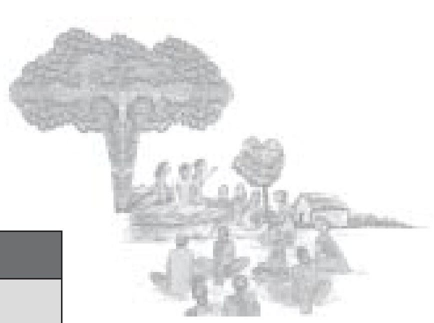

तालिका 6

केन्द्रीय सरकार	राज्य सरकार	जिला प्रशिक्षण दल
पंचायतों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के संबंध में संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों से प्राप्त तथा पंचायत सदस्यों के लिए कोर सामग्री के रूप में संक्षेपीकृत ब्यौरे	संबंधित क्षेत्र से जुड़े राज्य–विशिष्ट प्राथमिकता क्षेत्र जिनकी और आयोजना और कार्यान्वयन में सभी पंचायतों द्वारा ध्यान दिए जाने की जरूरत है	जिले में पंचायतों में इन क्षेत्रीय कार्यक्रमों की आयोजना और कार्यान्वयन से संबंधित जिला–स्तरीय बारीकियां

2.3.1.4 पाठ्यक्रम II(क) की प्रशिक्षण प्रविधियां और कार्यान्वयन के लिए संभारतंत्र/संसाधन व्यक्तियों के रूप में जिला और उप-जिला के संबंधित विभागीय स्टाफ को नियुक्त करने पर बल

भाग I की शुरूआत में तेजी लाने के लिए किए गए निवेश, भाग II के लिए भी उपयोगी होंगे। भाग I के कार्यान्वयन के लिए तैयार किए गए संसाधन व्यक्ति भाग II के कार्यान्वयन में भी बनाए रखे जाएंगे। तथापि, क्योंकि क्षेत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाने हैं, इसलिए प्रचालनात्मक ब्यौरों पर अपेक्षतया अधिक बल दिए जाने की जरूरत होगी। सही अभिवृत्ति और अभिरुचि रखने वाला संबंधित विभाग का क्षेत्रीय स्तर का स्टाफ, निम्न कारणों से पाठ्यक्रम II(क) के लिए प्रशिक्षकों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगाः

(क) इनकी आमतौर पर सार्वत्रिक उपस्थिति और उपलब्धता होती है।

(ख) इन्हें अपने क्षेत्र से संबंधित स्थानीय स्थितियों और ग्रासरूट स्तर की असलियत की गहरी जानकारी होती है।

(ग) यदि समुचित रूप से प्रेरित हों तो उनमें से कई अपने नेमी क्रियाकलापों में से निकल सकते हैं और संबंधित विभागों के संबंध में कुछ सृजनात्मक और उपयोगी कार्य कर सकते हैं।

पाठ्यक्रम II(क) प्रशिक्षण का नेतृत्व जिला प्रशिक्षण दलों में पहले से चयनित विभागीय क्षेत्रीय स्टाफ द्वारा किया जाएगा। जिला और उप–जिला स्तर के कार्मिकों पर अल्प अवधि के पाठ्यक्रमों में स्थायी समिति के सदस्यों के लिए इस तरह का व्यावहारिक प्रशिक्षण आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इस तरह के कार्यक्रम एक दिन अथवा आधे दिन के पाठ्यक्रमों में आयोजित किए जा सकते हैं जिससे कि नियमित ड्यूटी और प्रशिक्षण की अतिरिक्त ड्यूटी के बीच एक संतुलन सुनिश्चित किया जा सके।

2.3.1.5 पाठ्यक्रम II(क) की अवधि

पाठ्यक्रम II(क) के कार्यान्वयन के कार्यक्रम को नीचे तालिका 7 में बताए अनुसार दो चरणों में बांटा जा सकता है।

सारणी 7

क्रम संख्या	चरण	अवधि	अंतर्वस्तु	अभ्युक्तियां
1	चरण 1	3 दिन	क्षेत्रीय कार्यक्रमों के क्रास–कटिंग पक्ष जैसेकि लेखांकन, निधि, प्रबंध, प्रकटन, सामाजिक आडिट आदि	तालिका 1 में बताए अनुसार सभी सहभागियों के लिए
2	चरण 2	3 दिन	क्षेत्र–विशिष्ट और स्कीम–विशिष्ट प्रशिक्षण	सहभागियों को जिन स्थायी समितियों के साथ वे जुड़े हुए हैं उनके आधार पर समूहों में अलग–अलग कर दिया जाएगा और वे समुचित सत्रों में भाग लेंगे

पंचायतों की अधिकारिता की व्याप्ति और क्षेत्र पर निर्भर करते हुए राज्य इस आधारिक पद्धति में भिन्नताएं अपना सकते हैं।

2.3.1.6 पाठ्यक्रम II(ख): आईसीटी कौशलों का निर्माण

पाठ्यक्रम II(ख) के माध्यम से प्रति पंचायत कम से कम दो व्यक्तियों को कंप्यूटर कौशलों से सुसज्जित किया जाएगा। इस तरह का प्रशिक्षण लगभग 5 लाख व्यक्तियों के लिए आवश्यक होगा।

2.3.1.7 पाठ्यक्रम II(ख) के लिए पाठ्यचर्या

प्रशिक्षण की अंतर्वस्तु का उद्देश्य पंचायत स्तर पर प्रयोग में लाए जाने के लिए प्रस्तावित साफ्टवेयर के संबंध में जागरूकता सृजन और कौशल विकास होगा। पाठ्यक्रम II(ख) के लिए पाठ्यचर्या में पंचायत सूट के प्रचालनात्मक पक्ष के राष्ट्रीय इंफार्मेटिक सेंटर (एनआईसी) से अन्य बैक एंड समाधान साफ्टवेयर अनुप्रयोग शामिल होंगे। राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल (एनपीपी), (www.panchayat.gov.in) से परिचित कराने पर विशेष बल दिया जाएगा। चुने गए व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण में डाटा एंट्री कौशलों के साथ–साथ साफ्टवेयर का प्रचालन शामिल होगा।

2.3.1.8 पाठ्यक्रम II(ख) के लिए विस्तृत पाठ्यचर्या तैयार करने में जिम्मेदारियां

पाठ्यक्रम II(ख) से संबंधित पाठ्यचर्या तैयार करने में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और जिला प्रशिक्षण दल की जिम्मेदारियों के ब्यौरे दर्शाने वाला एक क्रियाकलाप–मानचित्रण नीचे तालिका 8 में निर्दिष्ट किया गया है।

सारणी 8

केन्द्रीय सरकार	राज्य सरकार	जिला प्रशिक्षण दल
एनआईसी साफ्टवेयर और आधारिक नियमपुस्तिकाएं उपलब्ध कराएगा	राज्य–विशिष्ट नियमपुस्तिकाएं एनआईसी के राज्य इंफार्मेटिक्स अधिकारियों के सहयोग से तैयार की जाएगी	प्रशिक्षण के लिए संसाधन व्यक्तियों का स्थानीय चयन

2.3.1.9 पाठ्यक्रम II(ख) के लिए प्रशिक्षण प्रविधियां और कार्यान्वयन के लिए संभारतंत्र

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) कौशलों के लिए प्रशिक्षण सर्वोत्तम ढंग से सोपानी पद्धति में दिया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि रूपरेखा के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त संख्या में चुने गए संसाधन व्यक्ति आईटी में कुशल हों। राज्य स्तर पर प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण एसआईआरडी तथा राज्य सूचना अधिकारी के बीच सहयोगात्मक ढंग से आयोजित किया जा सकता है।

2.4 भाग III: अन्योन्यक्रिया तथा नेटवर्क निर्माण के माध्यम से क्षमता का सुदृढ़ीकरण और समेकन

2.4.1 प्रत्येक राज्य में चुनावों के बाद पहला वर्ष रूपरेखा के भाग I और भाग II की शुरूआत के प्रति समर्पित होगा। तथापि, पंचायत सदस्यों और कर्मचारियों के वापिस काम पर लौटने के बाद गति बनाए रखने के लिए सतत वैचारिक आदान–प्रदान और जब जमीनी स्तर पर उनका मुकाबला मुद्दों और निर्णयों के साथ हो तब उन्हें अतिरिक्त सहायता प्रदान किए जाने की जरूरत है। रूपरेखा के भाग III में नीचे बताए अनुसार अनेक क्रियाकलाप (जरूरी नहीं कि पाठ्यक्रमों की प्रकृति में हों) इकट्ठे शामिल होंगे।

2.4.2 III(क): ग्राम सभा स्तर पर अभियान

पंचायत सदस्यों और स्टाफ के प्रशिक्षण को, प्रजातंत्र की परिपाटी को विशेष रूप से ग्राम सभाओं के माध्यम से बेहतर बनाने के लिए लोगों को प्रेरित करने के प्रति लक्षित बड़े पैमाने के सामुदायिक अभिप्रेरण कार्यक्रमों से संपूरित किया जाना होगा। सहभागिता का संदेश प्रसारित करने और साथ ही ग्राम सभा–स्तरीय वैचारिक आदान–प्रदान में जैसेकि लाभग्राही चयन, सामाजिक आडिट आदि–दोनों कार्यों में एनजीओ और सीबीओ को बड़े पैमाने पर सहयोजित करना होगा। आम अभियान के भीतर एसएचजी, महिला और युवा मंडलों जैसे समूहों तथा अन्य क्रियाकलाप–आधारित समूहों को ग्राम सभाओं में भाग लेने और उसके भीतर अधिक आग्रहपूर्ण दबाव समूहों के रूप में काम करने के लिए प्रेरित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। इस तरह के अभियानों का उद्देश्य विभिन्न पंचायत स्थायी समितियों में काम करने तथा क्षेत्रीय कार्यक्रमों की आयोजना और कार्यान्वयन में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए लोगों को प्रेरित करना भी होगा।

ग्राम सभा स्तर पर अभियान *कला जत्था नाटकों* के निष्पादन और प्रेरणात्मक गीतों के माध्यम से लोगों और पंचायतों की महत्वपूर्ण साझा समस्याओं जैसेकि शराबखोरी, साक्षरता, बालिका शिक्षा, घरेलू हिंसा, दहेज, जल और मृदा संरक्षण, कार्बनिक खेती आदि पर भी ध्यान केन्द्रित कर सकते हैं, जिससे कि केवल ग्राम सभा के आयोजन के समय पर ही नहीं बल्कि उसकी बजाय दैनिक आधार पर पंचायतों और लोगों के बीच सहयोग और साझा कार्रवाई उभर सके।

2.4.3 III(ख): पंचायती राज टीवी चैनल

2.4.3.1 न्यूनतम संभावित समय के भीतर व्यापक कवरेज के लाभ से युक्त टीवी चैनल पंचायती राज के संदेश के व्यापक प्रसारण की दिशा में पहले प्रयासों के रूप में समीचीन हैं। निजी और राज्य स्वामित्व–दोनों के बहुत बड़ी संख्या में टेलीविजन चैनल उपलब्ध हैं, जिनकी व्याप्ति विशाल है और जो बहुत प्रभाव रखते हैं। जबकि निजी और वाणिज्यिक टीवी चैनलों को पंचायती राज के सकारात्मक पक्षों को कवर करने के लिए कहा जा सकता है और अधिक उद्देश्यपूर्ण प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण जरूरतों के लिए जिनके वास्ते एक अधिक संरचित दृष्टिकोण की जरूरत होती है, उनका प्रयोग किया जाना संभव नहीं होता। समय की मांग यह है कि पंचायती राज के लिए एक अधिक समर्पित चैनल हो जिसमें प्रोत्साहक और अनुदेशात्मक कार्यक्रम–दोनों के लिए पर्याप्त दूरदर्शन समय दिया जा सके। इस तरह के कार्यक्रम को शीघ्र शुरू करने और उसकी लागत कम रखने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए यह सुझाव है कि पंचायती राज चैनल के रूप में दूरदर्शन के लोक सभा चैनल का प्रयोग किया जाए। इस चैनल का आधारिक–तंत्र वर्ष में कम से कम 6 महीने के लिए, जबकि लोक सभा का सत्र चल रहा होता है उपलब्ध रहता है। साथ ही यह निःशुल्क चैनल है और इसलिए पंचायती राज प्रतिनिधियों के विस्तृत ग्राहकों द्वारा उसका प्रयोग किया जा सकता है।

2.4.3.2 रेडियो: टेलीविजन के त्वरित प्रसार के बावजूद रेडियो की विशेष रूप से गरीबों के बीच व्यापक व्याप्ति है। निजी एफएम चैनलों के बड़ी संख्या में उभरने के बावजूद आल इंडिया रेडियो की व्याप्ति विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी सर्वाधिक व्यापक है। वाणिज्यिक रेडियो पर पंचायती राज आधारित कार्यक्रमों के लिए समर्पित रेडियो समय पंचायती राज के संबंध में लोगों के बीच आम जागरूकता पैदा करने की दृष्टि से वैसे ही अवसर उपलब्ध कराएगा जैसाकि टीवी उपलब्ध कराता है।

2.4.4 III(ग): राष्ट्रीय पंचायती राज सूचना पत्र

कई राज्यों ने पंचायत सदस्यों के लिए पूरक पठन सामग्री उपलब्ध कराने के निमित्त स्थानीय सूचना–पत्रों के तंत्र का प्रयोग किया है। सभी राज्यों के बीच स्थानीय विशिष्टता खोए बिना इस अवधारणा का संस्थायन, संवर्द्धन और मानकीकरण किए जाने की जरूरत है। सर्वप्रथम पंचायतों के लिए सामग्री का मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए ऐसी परिकल्पना है कि राष्ट्रीय स्तर का एक मासिक सूचना–पत्र तैयार किया जाएगा जिसमें पंचायती राज से संबंधित समाचार और स्थानीय जनरल नर्सिंग तथा मिडवाइफरी के लेख शामिल होंगे जोकि देश में सभी पंचायतों को भेजा जाएगा। इस सूचना–पत्र में राज्य–विशिष्ट सामग्री तथा लेख और साथ ही देश के भीतर पंचायतों की सर्वोत्तम परिपाटियां शामिल होंगी। ऐसा करने से पंचायतों के जीवंत अनुभव को भारत की प्रमुख भाषा में अनुदीत करने के लिए अवसर उपलब्ध होगा। फीडबैक तथा प्रशिक्षण के दौरान सहभागियों द्वारा उठाए गए मुद्दे अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) के उत्तर तैयार करने के लिए आधार का निर्माण करेंगे, सूचना–पत्र में ये उत्तर भी शामिल होंगे। इस तरह का सूचना–पत्र निकालने के लिए संसद के एकदम हाल में और सेवानिवृत्त अनुवादकों की सेवाओं का लाभ उठाते हुए केन्द्रीय पंचायती राज मंत्रालय में एक अनुवाद और प्रकाशन ब्यूरो स्थापित किया जाएगा।

2.4.5 III(घ): पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों के नेटवर्क का निर्माण

वास्तविक प्रत्यायोजन और विकास के लिए अधिक मुखर मांग को सुविधापूर्ण बनाने, पंचायती राज के संबंध में सतर्कता का प्रयोग करने, अनुभवों का आदान–प्रदान करने तथा एक–दूसरे की सामग्री सुलभ कराने को सुविधापूर्ण बनाने के उद्देश्य से रूपरेखा के अधीन पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों के नेटवर्कों और संघों के गठन को बढ़ावा दिया जाएगा। पंचायत महिला शक्ति अभियान और पंचायत युवा शक्ति अभियान में की गई परिकल्पना के अनुसार इसे विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा। नेटवर्क निर्माण के माध्यम से स्व–अधिगम प्रक्रियाओं के रूप में जो कुछेक विशिष्ट पहलकदमियां प्रोत्साहित की जाएंगी, उनका विशेष वर्णन नीचे किया गया है।

(क) आईटी का प्रयोग

बड़ी संख्या में निर्वाचित प्रतिनिधियों और कर्मचारियों का सरल और प्रयोग करने में सहज आईटी हस्तक्षेपणीय उपायों में गहन प्रशिक्षण जैसेकि निर्णय लेने में, विशेष रूप से, सरकार से डाटा तक पहुंचना और उसका प्रयोग करना।

(ख) सामुदायिक रेडियो

सामुदायिक रेडियो एक ऐसा उभरता हुआ क्षेत्र है जोकि पंचायती राज सदस्यों के लघु स्थानीय नेटवर्कों को सहयोग प्रदान कर सकता है। ब्लाक स्तरीय संसाधन केन्द्रों (जिनका वर्णन) इस रूपरेखा में अन्यत्र किया गया है, के एक सहायक के रूप में सामुदायिक रेडियो दैनिक आधार पर प्रशिक्षण के प्रभावों की संयोज्यता और सांतत्य उपलब्ध कराएगा।

2.4.6 III(ड.): वार्षिक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम

सभी पंचायत सदस्यों के लिए वार्षिक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव है। यह पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम 1(क) अर्थात उपग्रह सहाय्यित आमने–सामने पद्धति से आयोजित किया जाएगा। इस प्रशिक्षण का समग्र उद्देश्य यह है कि पंचायत प्रतनिधियों को आगे वर्णित प्रयोजनों के लिए एक मंच उपलब्ध कराया जाए: (क) अपनी उत्तम परिपाटियों के अनुभवों का आदान–प्रदान करना तथा अपनी असफताओं से सीखना; तथा (ख) एक–दूसरे के साथ नेटवर्क निर्माण। प्रत्येक चार–दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को अनुभवों के आदान–प्रदान तथा क्षेत्रीय दौरों के साथ जोड़ा जाए।

2.4.7 III(च): अभिज्ञात 'बीकन' पंचायतों के दौरे

बीकन पंचायतें एक पारदर्शी और स्वतंत्र प्रक्रिया द्वारा अभिज्ञात की जाएंगी जिससे कि उनके द्वारा किए गए कार्य को प्रदर्शित किया जा सके। बीकन पंचायतों के लिए पंचायतों के अध्ययन दौरे आयोजित किए जाएंगे जिससे कि सर्वोत्तम परिपाटियों के प्रभावन को बढ़ावा दिया जा सके और विकास तथा उत्तम अभिशासन के माडलों को दोहराया जा सके।

2.4.8 III(छ): मध्यवर्ती पंचायत-स्तर विस्तार तथा संसाधन केन्द्र

ऐसी परिकल्पना की गई है कि रूपरेखा के अधीन प्रत्येक मध्यवर्ती पंचायत के स्तर पर कम से कम एक विस्तार केन्द्र होगा जिससे कि मध्यवर्ती पंचायत के क्षेत्र के भीतर ही सभी पंचायतों की प्रशिक्षण जरूरतें पूरी की जा सकें। प्रत्येक विस्तार केन्द्र प्रशिक्षण क्रियाकलापों, संबंधित ब्लाक क्षेत्रीय संसाधन व्यक्तियों की मेजबानी करने तथा परामर्श और नेटवर्क निर्माण के वास्ते पंचायत सदस्यों का स्वागत करने के लिए अवसर उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा उपग्रह प्रशिक्षण सुविधा भी वस्तुतः विस्तार संसाधन केन्द्रों में ही स्थित होनी चाहिए। पंचायत सदस्यों को लघु स्तर की बैठकों तथा परस्पर सहयोग के निमित्त इन संसाधन केन्द्रों में इकट्ठा होने को प्रोत्साहित किया जाएगा।

2.4.8.1 जब पंचायतों को आयोजना और कार्यान्वयन का काम सौंपा जाता है, तो स्थानीय जरूरतों से निपटने के उद्देश्य से स्थानीय कर्मचारियों को और अधिक बेहतर तरीके से सामर्थ्यवान बनाने के निमित्त विभागीय प्रक्रियाओं में मूलभूत बदलाव लाए जाने की जरूरत होती है। मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर तकनीकी दृष्टि से सक्षम स्टाफ अथवा अन्य एजेंसियों के समूह का सृजन करना, पंचायती राज के लिए क्षमता सृजन का एक अन्य रूप होगा। इस जरूरत को पूरा करने के लिए प्रत्येक विस्तार केन्द्र में ऐसे कुछ संसाधन व्यक्ति तैनात किए जाएंगे जो पंचायतों को तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगे।

(क) एक इंजीनियर को पंचायत स्तर की आधारिक निर्माण परियेजनाओं की तकनीकी दृष्टि से समीक्षा करनी होगी तथा अनुभव तैयार करने, टेंडर मंगाने और गुणवत्ता के पर्यवेक्षण के निमित्त सहयोग देना होगा।

(ख) एक लेखाकार को, निर्धारित वित्तीय मार्गनिर्देशों का पालन करने, जहां जरूरत हो वहां सहायता प्रदान करने तथा निधियों को जिले को अंतरित करने के लिए ब्लाक स्तर के पंचायत लेखाओं का मिलान करने में ग्राम पंचायतों की सहायता करनी होगी।

(ग) एक समाज विशेषज्ञ को आयोजना के लिए विकेन्द्रीकृत सहभागितापूर्ण प्रक्रियाएं आयोजित करने तथा सबसे निर्धन और दुर्बल समूहों को ग्राम सभाओं और वार्ड सभाओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करने में पंचायतों की मदद करनी होगी।

2.4.8.2 संसाधन केन्द्रों का संचालन आगे वर्णित किसी भी माध्यम से आयोजित किया जा सकता है (क) जिला अथवा मध्यवर्ती पंचायत; (ख) जिला अथवा मध्यवर्ती पंचायत द्वारा सहाय्यित एसआईआरडी; (ग) पंचायत सदस्यों के स्वयं अपने संघ, जहां कहीं ऐसे नेटवर्क बनाए जा चुके हैं और वे मजबूत हैं तथा (घ) पंचायत सदस्यों के नेटवर्क अथवा पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा सहाय्यित एनजीओ। इस तरह की व्यवस्थाओं से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि ओ तथा एम अपेक्षाओं की पूर्ति समुचित समझौतों से माध्यम से कर ली जाती है। चाहे कोई भी माडल अपनाया जाए, संसाधन केन्द्रों को चलाने के लिए सरकारी व्यवस्थाओं के साथ पंचायत सदस्यों को पूरी तरह सहयोजित किया जाएगा।

2.4.8.3 केन्द्र और राज्य संसाधन केन्द्रों की स्थापना करने के साथ-साथ एनआईआरडी, एसआईआरडी तथा जिला, ब्लाक स्तर और उससे निचले स्तर पर विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों जैसे प्रशिक्षण केन्द्रों के स्तरोन्नयन की दिशा में कार्य करेंगे।

2.4.9 III(ज): हेल्पलाइन

सभी हितधारकों का प्रशिक्षण पूरा कर लिए जाने के बाद भी, कार्यक्रम के कार्यान्वयन से जुड़े लोगों के लिए स्पष्टीकरण तथा जानकारी का एक तेज चैनल उपलब्ध कराए जाने की जरूरत होगी। हेल्पलाइनें प्रशिक्षित व्यक्तियों को सतत कार्यस्थलीय सहायता उपलब्ध कराएंगी तथा सहायता मांगने वालों को प्रदाताओं के साथ जोड़ेंगी, जबकि दीर्घकालीन आधार पर आईटी, स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने का एक अन्योन्यक्रियापूर्ण तंत्र उपलब्ध कराएंगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ग्राम पंचायतों में आईटी का प्रवेश कम मात्रा में है, टेलीफोन हेल्पलाइन स्थापित की जाएंगी। टेलीफोन हेल्पलाइनें स्थापित करने से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु संक्षेप में तालिका 9 में प्रस्तुत किए गए हैं।

तालिका 9

स्थान	शुरू करने के लिए राज्य स्तर हो सकता है किंतु जिला स्तर आदर्श होगा
न्यूनतम सुविधाएं	प्रत्येक हेल्पलाइन के लिए कम से कम एक टेलीफोन लाइन और एक स्वतंत्र फैक्स लाइन जरूरी है।
प्रशिक्षण	टेलीफोन काल सुनने और उसका जवाब देने में स्टाफ को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। उन्हें खुशमिजाज, सहायक तथा पंचायती राज के सभी पक्षों का जानकार होना चाहिए। क्षेत्रीय स्तर के सर्वोत्तम संसाधन व्यक्तियों को बारी–बारी से हेल्पलाइन की ड्यूटी सौंपी जा सकती है।
कार्य–समय	हेल्पलाइन को 8–8 घंटे की दो पारियों में प्रतिदिन 16 घंटे काम करना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि टेलीफोन पर स्पष्टीकरण मांगने वाले व्यक्ति काल करते समय अक्सर एसटीडी की दरें कम होने के वास्ते प्रतीक्षा करते हैं।
स्पष्टीकरण के लिए सामग्री की उपलब्धता	राज्य को हेल्पलाइन को, कानूनों, नियमों, विनियमों क्रियाकलाप मानचित्रण, आदेशों और परिपत्रों की प्रतियों जैसी सभी सामग्री उपलब्ध करानी होगी। सूचना के अधिकार से संबंधित जानकारी सहित सभी जानकारी हेल्पलाइनों में उपलब्ध होनी चाहिए। अनुमान तैयार करने, दरों की अनुसूची के हवाले आदि के मामले में त्वरित स्पष्टीकरण प्रदान करके भी हेल्पलाइन सहायता उपलब्ध करा सकती है।
हेल्पलाइनों से अनुदेशों को फैक्स करना	ऐसा संभव हो सकता है कि ग्राम पंचायतों आदि से सार्वजनिक एसटीडी बूथों के माध्यम से जहां फैक्स सुविधा भी उपलब्ध हो सकती है टेलीफोन पर स्पष्टीकरण मांगे जाएं, उस स्थिति में हेल्पलाइन, स्पष्टीकरण मांगने वालों को तत्काल फैक्स करने की स्थिति में होनी चाहिए।
कालों और उत्तरों को दर्ज करना	हेल्पलाइनों को की जाने वाली कालें पंचायती राज के कार्यान्वयन के संबंध में अमूल्य फीडबैक उपलब्ध कराएंगी। इसलिए दर्ज करने की प्रणाली स्थापित करनी होगी। कालों का सार इस प्रयोजन के लिए विशेष लाग बुकों में दैनिक आधार पर लिखित रूप से रिकार्ड करना होगा।
शिकायत निवारण	ऐसा भी संभव हो सकता है कि लोगों द्वारा हेल्पलाइनों का प्रयोग शिकायत करने तथा अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए किया जाए। इस आशय की व्यवस्था करनी होगी कि प्राप्त हुई शिकायतें निवारण के लिए और संबंधित व्यक्तियों को उत्तर दिए जाने के लिए संबंधित अधिकारियों को भेज दी जाएं।
जानकारी प्राप्त करना	जहां कहीं राज्य एक से अधिक हेल्पलाइन रखने का निर्णय लेता है, हेल्पलाइन स्टाफ से मासिक आधार पर सूचना प्राप्त की जानी चाहिए ताकि क्षेत्रीय क्रियाकलापों की बाबत जानकारी प्राप्त की जा सके। ऐसा करने से स्टाफ को एक दूसरों से सीखने का अवसर भी प्राप्त होगा। सूचना मांगते समय लोग एक साझा कोष में जमा रखे जा सकते हैं, जहां से एफएक्यू का उत्तर तैयार करने के लिए उनका प्रयोग किया जा सकता है।

2.4.10 III(झ): पंचायती राज में औपचारिक स्पष्टीकरण पाठ्यक्रम

प्रशिक्षण के लिए औपचारिक प्रमाणन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के वास्ते एक और अधिक औपचारिक प्रशिक्षण प्रणाली की जरूरत है। विशेष रूप से पंचायतों के साथ कार्यरत सचिवालयी और तकनीकी स्टाफ के लिए स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में काम करने वाले राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे। रुचि रखने वाले पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों सहित हितधारकों को भी इस पाठ्यक्रम में भाग लेने में सहायता पहुंचाई जाएगी। इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के फलस्वरूप अधिगम के निर्धारित मानकों की पूर्ति कर लेने पर औपचारिक प्रमाणन प्रदान किया जाएगा।

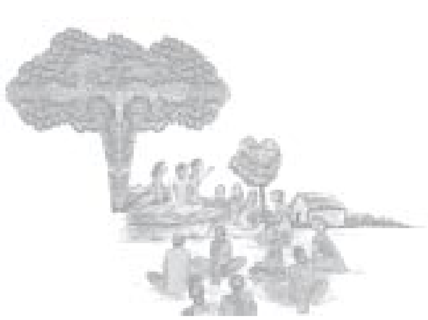

अध्याय 3

रूपरेखा को कार्यरूप देने के लिए संसाधन व्यक्ति

3.1 प्रस्तावना

रूपरेखा के भाग I और II को शुरू करने की प्रमुख विधि उपग्रह और आमने–सामने प्रशिक्षण को मिलाने की है। सोपानी प्रशिक्षण का उद्देश्य राष्ट्रीय से ब्लाक स्तर तक के सभी स्तरों पर संसाधन व्यक्तियों के एक समूह का सृजन करना है, जोकि प्रशिक्षण की श्रृंखला में एक चिरस्थायी निवेश है। क्योंकि प्रशिक्षण की परिकल्पना एकबारगी प्रयास के रूप में नहीं की गई है, इसलिए संसाधन व्यक्तियों का चयन भी इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि उनकी जरूरत सविरामी रूप में होगी। संसाधन व्यक्तियों के इस समूह का सृजन त्रि–स्तरीय सोपानी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय संसाधन व्यक्ति, राज्य स्तरीय संसाधन व्यक्ति तथा जिला और उप–जिला स्तरीय संसाधन व्यक्ति शामिल होंगे। आईटी प्रशिक्षण [पाठ्यक्रम II(ख)] के मामले में ऐसी परिकल्पना की गई है कि केवल एक दो–स्तरीय सोपानी माडल अर्थात राज्य और जिला स्तरीय संसाधन व्यक्तियों का माडल अपनाया जाएगा।

3.2 कार्यक्रम के लिए अपेक्षित संसाधन व्यक्तियों के ब्यौरे

3.2.1 मास्टर संसाधन व्यक्ति

मास्टर प्रशिक्षक प्रमुख भूमिका निभाने वाले व्यक्ति होते हैं और प्रमुख विकासात्मक कार्यक्रमों से संबंधित कौशल प्रदान करने में उनके पास सही अभिरुचि और अभिवृत्ति होनी चाहिए। अपेक्षित कौशलों में परिवर्तन, अंतर्वस्तु कार्यक्रम शुरू करने की विधि तथा संभारतंत्र पर निर्भर करेंगे। मास्टर प्रशिक्षकों के लिए बुनियादी अर्हता पहले से सूचित किए जाने की जरूरत है और वह डिजाइन की कोटि के आधार पर अलग–अलग होगी। प्रत्येक स्तर पर प्रशिक्षकों के कार्य, उनके तात्कालिक कार्यों पर निर्भर रहते हुए काफी अलग–अलग तरह के होंगे। राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर प्रशिक्षकों से मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने की अपेक्षा की जाती है जिनके मामले में इस आशय की पूरी संभावना है कि वे प्रशिक्षण कार्यक्रम में, प्रशिक्षण तथा सरकारी स्कीमों के कार्यान्वयन – दोनों में काफी अनुभव लेकर आएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर दृष्टिकोण के तहत पंचायती राज की प्रकृति और उसके साथ–साथ उससे जुड़ी प्रक्रियाओं – दोनों का संप्रेषण किया जाएगा। राज्य मास्टर प्रशिक्षकों का रवैया भी अधिकांशतः ऐसा ही होगा।

3.2.2 जिला स्तर पर संसाधन व्यक्ति

जिला स्तरीय संसाधन व्यक्तियों का दृष्टिकोण, राष्ट्रीय स्तर के संसाधन व्यक्तियों से सर्वथा अलग ढंग का होगा। जिला स्तर पर संसाधन व्यक्तियों के रूप में चुने जाने वाले अधिकांश व्यक्ति पंचायती राज में हितधारक और सहभागी भी होंगे। इस स्तर पर उनकी भूमिकाएं अस्पष्ट होंगी क्योंकि अनेक प्रशिक्षक पंचायतों को, पहले से चली आ रही सहायता प्रदान करने वाले संसाधन केन्द्रों में कार्य करते हुए दोहरी भूमिकाएं भी निभाते हैं।

3.2.3 अपेक्षित संसाधन व्यक्तियों की संख्या

कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिस कोटि के संसाधन व्यक्तियों की जरूरत होगी, उनका वर्णन नीचे तालिका 10 में किया गया है।

तालिका 10

क्रम संख्या	संसाधन व्यक्ति की श्रेणी	अपेक्षित संख्या	अपेक्षित संख्या की गणना करने का आधार	संबंधित पाठ्यक्रम सहित विस्तृत कार्य चार्ट	प्रशिक्षण आयोजित करने की जिम्मेदारी
केन्द्रीय स्तर					
1.	उपग्रह प्रशिक्षण एंकर तथा प्रस्तोता	96(100)	प्रति राज्य कम से कम 4	कार्यक्रम के भाग I और II के लिए राज्य उपग्रह के प्रसारण को एंकर करना	पंचायती राज मंत्रालय द्वारा एक ऐसे नामित एसआईआडी में जो पहले से ही इस प्रणाली का प्रयोग कर रहा है, संचालित कार्यक्रम के माध्यम से बुनियादी दिशा–अनकुलन उपलब्ध कराएगा
2.	राष्ट्रीय संसाधन व्यक्ति	150	नीचे तालिका में दिया गया है	रूपरेखा के भाग I तथा II के लिए राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों के वास्ते टीओटी लेना	व्यक्तियों का चयन राज्य द्वारा किया जाएगा, पंचायती राज मंत्रालय नामित एसआईआरडी में संचालित कार्यक्रम के माध्यम से बुनियादी दिशा–अनुकूलन उपलब्ध कराएगा।
	योग	250			
राज्य स्तर					
1	राज्य स्तरीय मास्टर संसाधन व्यक्ति	1850	नीचे तालिका में दिया गया है	रूपरेखा के भाग I तथा II के लिए राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों के वास्ते टीओटी लेना	राज्य को चयन करना है और कार्यक्रम में एसआईआरडी में प्रशिक्षित करना है
2	जिला स्तरीय संसाधन व्यक्ति	27500	नीचे तालिका में दिया गया है		राज्य मास्टर संसाधन व्यक्तियों द्वारा जिला स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त किया जाएगा
3	आईटी के लिए राज्य स्तरीय मास्टर संसाधन व्यक्ति	100	प्रति राज्य कम से कम 4	जिला स्तरीय संसाधन व्यक्तियों के लिए टीओटी लेना	एनआईसी द्वारा राज्य के परामर्श से चयन किया जाना है
4	जिला स्तरीय संसाधन व्यक्ति	1800	प्रति जिले के लिए 3 की दर से		राज्य द्वारा चयन किया जाएगा तथा एनआईसी के परामर्श से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
	योग	31250			
	सकल योग	31500			

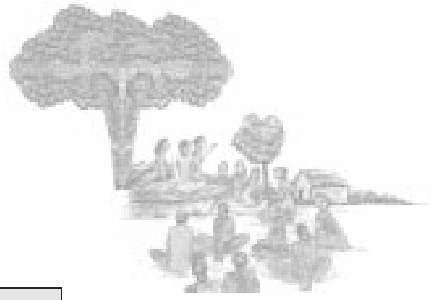

संसाधन व्यक्तियों की जरूरत के संबंध में गणनाएं नीचे तालिका 11 में दी गई है।

तालिका 11

क	प्रशिक्षित किए जाने वाले निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या	2200000	
ख	प्रति बैच व्यक्तियों की संख्या	20	ऐसी परिकल्पना की गई है कि किसी एक समय प्रशिक्षण बैचों में 20 से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे जिससे कि सभी की सार्थक सहभागिता सुनिश्चित हो सके
ग	प्रशिक्षण बैचों की संख्या (क/ख)	110000	प्रति बैच में 20 व्यक्तियों के आधार पर प्रशिक्षित किए जाने के लिए 110000 से अधिक बैचों की जरूरत होगी
घ	सप्ताहों की संख्या जिसके भीतर प्रशिक्षण का प्रत्येक चक्र पूरा किया जाएगा	20	ऐसी परिकल्पना की गई है कि प्रशिक्षण (चाहे वह आधारिक हो, क्षेत्रीय हो या पुनश्चर्या हो) पूरा होने में 20 सप्ताह से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए। दूसरे शब्दों में प्रत्येक राज्य में प्रशिक्षण का प्रत्येक चक्र 20 सप्ताह में पूरा किए जाने की जरूरत है।
ड.	प्रति सप्ताह प्रशिक्षण बैचों की संख्या (ग/घ)	5500	यदि प्रशिक्षण पूरा होने का आधार 20 सप्ताह माना जाता है तो 5500 बैचों को प्रशिक्षित किए जाने की जरूरत होगी।
च	प्रति बैच क्षेत्रीय संसाधन व्यक्तियों की संख्या	5	ऐसी परिकल्पना की गई है कि इष्टतम परिणामों और संयोज्यता की दृष्टि से प्रत्येक बैच को प्रशिक्षण स्थल पर कम से कम 5 संसाधन व्यक्तियों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। ऐसा सोचा गया है कि इन संसाधन व्यक्त्यिों में से कम से कम 3 एनजीओ, भूतपूर्व अथवा वर्तमान पंचायत सदस्यों, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों आदि में से होंगे। कम से कम दो जिला अथवा ब्लाक स्तरों पर सेवारत संबंधित विभागों से होंगे।
छ	अपेक्षित क्षेत्रीय संसाधन व्यक्तियों की कुल संख्या (ड./च)	27500	पंचायत–स्तरीय प्रशिक्षण के लिए संसाधन व्यक्तियों की कुल जरूरत
ज	प्रति राज्य मास्टर प्रशिक्षक के पीछे क्षेत्रीय संसाधन व्यक्तियों की संख्या	15	ऐसी परिकल्पना की गई है कि प्रत्येक राज्य मास्टर प्रशिक्षक 15 क्षेत्रीय संसाधन व्यक्तियों को संभालेगा
झ	अपेक्षित राज्य मास्टर प्रशिक्षकों की संख्या (छ/ज)	1833	
ञ	प्रति राज्य मास्टर प्रशिक्षक के पीछे राष्ट्रीय मास्टर प्रशिक्षकों की संख्या	15	ऐसी परिकल्पना की गई है कि प्रत्येक राष्ट्रीय मास्टर प्रशिक्षक 15 राज्य मास्टर प्रशिक्षकों को संभालेगा
ट	राष्ट्रीय मास्टर प्रशिक्षकों की अपेक्षित संख्या (झ/ञ)	122	

3.3 संसाधन व्यक्तियों का चयन

3.3.1 रूपरेखा का प्रभावी कार्यान्वयन प्रत्येक स्तर पर प्रमुख रूप से संसाधन व्यक्तियों के स्तर पर निर्भर करता है। ऐसे व्यक्तियों की पहचान करने में विशेष ध्यान दिया जाना होगा जो सही सोच, प्रतिबद्धता और संसाधन व्यक्तियों के रूप में ऊर्जस्विता से युक्त हों। इनका चुनाव स्वयं पंचायत सदस्यों (अथवा भूतपूर्व सदस्यों), एनजीओ में से किया जा सकता है अथवा ये सेवारत तथा सेवानिवृत्त – दोनों प्रकार के सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं। चयन की प्रक्रिया के नीचे बताए अनुसार तीन चरण हैं:

(क) दिशा–अनुकूलन पाठ्यक्रम के लिए चयन से पूर्व एक प्रारंभिक जांच

(ख) एक कठोर दिशा–अनुकूलन पाठ्यक्रम
(ग) दिशा–अनुकूलन के पश्चात मूल्यांकन

प्रत्येक उपाय के ब्यौरों का प्रतिपादन नीचे किया गया है।

3.3.2 दिशा-अनुकूलन पाठ्यक्रम के लिए चयन से पूर्व प्रारंभिक जांच

प्रारंभिक पहचान और जांच के लिए मानदंड निम्नानुसार हैः

(क) लैंगिक और जातिगत साम्य, धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता तथा जाति, लिंग अथवा धर्म पर आधारित पूर्वग्रहों की कमी।

(ख) पंचायती राज प्रणाली में अनुभव वांछनीय हो सकता है किंतु अनिवार्य नहीं।

(ग) विशेष रूप से वंचितों को शामिल करने के लिए सहानुभूतिपूर्वक बातचीत करने की योजना।

(घ) संसाधन व्यक्तियों के रूप में बहु–कार्य संभालने की योग्यता की दृष्टि से आमने–सामने प्रशिक्षण, उपग्रह प्रशिक्षण, हेल्पलाइन चलाने तथा पंचायत प्रतिनिधियों के लिए क्षेत्रीय स्तर पर आनलाइन सहायता उपलब्ध कराने में एकसमान अधिकार रखना जरूरी है।

3.3.3 प्रवेशकालीन पाठ्यक्रम

मास्टर प्रशिक्षकों के चयन के लिए प्रवेशकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम एक ऐसी कठोर और सु–प्रलेखित प्रक्रिया होगी जोकि पंचायती राज की विशेष जरूरतों और समस्याओं के प्रति केन्द्रित होगी। यह दो महीने चलने वाला पाठ्यक्रम होगा जिसका प्रयोजन सहभागियों के विभिन्न कौशलों का, विशेष रूप से गरीबों के साथ समानुभूति रखने और दुष्कर परिस्थितियां में दृढ़प्रतिज्ञ बने रहने की क्षमता का परीक्षण करना होगा। इसमें एक ग्राम तल्लीनता अवस्था अवश्य शामिल होगी। प्रवेशकालीन पाठ्यक्रम, मास्टर प्रशिक्षकों को वित्तपोषण और संभारतंत्र सहित प्रशिक्षण प्रक्रियाओं के प्रबंधन के समूचे क्षेत्र के गहरे ज्ञान से भी सुसज्जित करेगा।

3.3.4 अंतिम जांच

प्रवेशकालीन प्रशिक्षण के बाद एक अंतिम जांच होनी चाहिए जो ज्ञान, प्रतिबद्धता तथा परामर्शी कौशलों का परीक्षण करती है।

3.4 प्रशिक्षकों के रूप में संबंधित विभाग का स्टाफ

संबंधित विभाग के स्टाफ को प्रशिक्षण प्रणाली में सभी स्तरों पर अर्थात राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय संसाधन व्यक्तियों अथवा क्षेत्रीय स्तर के संसाधन व्यक्तियों के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। प्रत्येक प्रशिक्षण बैच के लिए जिन पांच संसाधन व्यक्तियों की जरूरत होती है उनमें से कम से कम दो संबंधित विभाग के कर्मचारी हो सकते हैं। ये कर्मचारी प्रशिक्षण प्रणाली में किंचित पूर्व–ज्ञान तथा प्रतिबद्धता सहित आएंगे। जबकि आदर्शतः इन व्यक्तियों को भी दो महीने के प्रवेशकालीन पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन यदि ऐसा महसूस होता है कि उन्हें प्रशिक्षण के लिए पूरे समय के वास्ते नहीं छोड़ा जा सकता तो उन्हें (2 से 3 सप्ताह के) छोटी अवधि के प्रवेशकालीन पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सकता है और उसके बाद वे संसाधन दल बैच में शामिल हो सकते हैं।

संसाधन व्यक्तियों के रूप में कार्यभार संभालने वाले क्षेत्रीय–स्तर के स्टाफ को एक अलग मानेदय दिया जाएगा। मानदेय की राशि राज्य द्वारा तय की जाएगी। लागतों की गणना के मानकीकरण के प्रयोजन के लिए, मानदेय संबंधी लागत प्रत्येक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की लागत में शामिल कर दी गई है।

3.5 संसाधन व्यक्तियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम

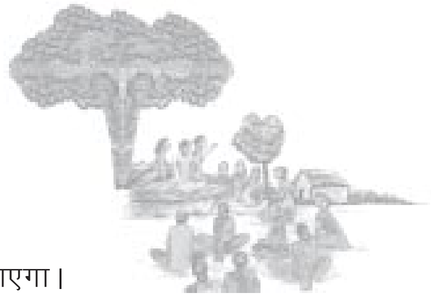

संसाधन व्यक्तियों के वैचारिक आदान–प्रदान के लिए वार्षिक कोलोकिया आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षकों के लिए विशेष रूप से पंचायती राज के अच्छे निष्पादन वाले राज्यों के ज्ञानार्जन दौरे मास्टर संसाधन व्यक्तियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का हिस्सा भी होंगे।

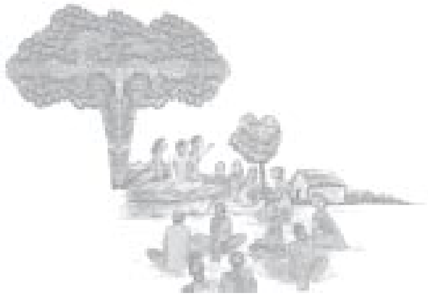

अध्याय–4

रूपरेखा के लिए सामग्री का निर्माण

4.1 प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने में मार्गदर्शन के सामान्य सिद्धांत

प्रशिक्षण सामग्री अधिकांशतः सचित्र होनी चाहिए। इस तरह की सामग्री अनिवार्यतः स्थानीय भाषा में और बेहतर हो कि स्थानीय बोली में हो और सरल हो। चित्रात्मक प्रशिक्षण सामग्री में स्थानीय, सर्वोत्तम और नवाचारी परिपाटियां समाविष्ट की जानी चाहिए। लोक संसाधनों का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए। निम्न स्तर के कर्मचारियों के मामले में इस तरह की सामग्री प्रश्नोत्तर विधि में होनी चाहिए। एफएक्यू, ''यह करें'' तथा ''यह न करें'' तथा अक्सर प्रयुक्त शब्दों का विस्तृत शब्द–संग्रह प्रशिक्षण सामग्री में शामिल किया जाना चाहिए। शपथ ग्रहण के अवसर पर पीआरआई कर्मचारियों को पंचायती राज प्रणाली के सरल भाषा में लिखे गए मूलभूत तत्वों वाली एक हैंडबुक उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

4.2 मुद्रित सामग्री

जितने बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण की कल्पना की गई है उसके लिए नाना प्रकार की मुद्रित सामग्री विकसित किए जाने की जरूरत होगी जोकि देखने में सरल और बेहतर हो कि सुचित्रमय हो। मुद्रित सामग्री निम्न प्रकार की हो सकती हैः

(क) पंचायत सदस्यों, स्टाफ तथा अन्य हितधारकों के लिए संदर्भ पुस्तिका जोकि एफएक्यू के उत्तरों के रूप में सर्वोत्तम ढंग से तैयार की जाती है।

(ख) पंचायती राज के विभिन्न पक्षों से संबंधित चार्ट, दीवार पर लगाए जाने वाले अखबार और पोस्टर होने चाहिए जिन्हें पंचायत कार्यालयों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जा सके।

(ग) हितधारकों के बीच परिचालन के लिए और उसके साथ–साथ सामान्य जनता के लिए सूचना–पत्र होने चाहिए।

4.3 फिल्म तथा इलेक्ट्रोनिक सामग्री

प्रशिक्षण के लिए फिल्म सामग्री तैयार करने की कुछ आधारिक बातें निम्नानुसार हैंः

(क) फिल्मों का फोरमैट निर्वाचित पंचायत सदस्यों के अनुभवों से संचित कार्यशाला विचार–विमर्श, वैयक्तिक इंटरव्यू और नाटकीकृत रूपकों के रूप में हो सकता है, जिसमें वे जो कुछ तैयार करने जा रहे हैं, उसके बारे में चर्चा और चिंतन कर रहे हों और स्वयं अपनी ग्राम पंचायत के लिए शिक्षाओं पर विचार कर रहे हों।

(ख) ऐसा जरूरी नहीं है कि फिल्में पहले से लिखी हुई हों और विशेषज्ञ लेक्चरों का होना भी जरूरी नहीं है। फिल्में निर्वाचित ग्राम पंचायत सदस्यों के *जीवंत* अनुभवों को परिलक्षित करेंगी।

(ग) लैंगिक और जातिगत साम्य विशिष्ट विषय होगा।

जहां कहीं संभव हो फिल्म सामग्री तैयार करने में एनजीओ को सहयोजित किया जा सकता है।

4.4 कार्यक्रम डिजाइन और प्रबंध में पंचायत की सहभागिता

पंचायतों को प्रशिक्षण सामग्री के स्वामित्व का अहसास विकसित कराने तथा प्रशिक्षण की अंतर्वस्तु और तंत्रों को तैयार करने में एक प्रमुख भूमिका का निर्वाह करने के लिए प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है। यह काम प्रशिक्षण संस्थानों के भीतर शासी मंडलों और कार्यबलों में जो उनकी जरूरतों की ओर ध्यान देते हैं, पंचायत सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान करके शुरू किया जा सकता है। सर्वप्रथम प्रशिक्षित सदस्यों को पंचायत प्रतिनिधियों को और आगे प्रशिक्षित करने के लिए संसाधन व्यक्ति बनने के वास्ते प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय अथवा राष्ट्रीय संपर्क के माध्यम से राज्य के भीतर और बाहर – दोनों स्थानों पर हमजोली–से–हमजोली का सीखना प्रोत्साहित और समर्थित किया जाना चाहिए। तथापि, एक अधिक दीर्घकालीन दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करने के रूप में होगा कि पंचायत सदस्य नेटवर्क प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रबंध का एक बड़ा हिस्सा अपने हाथ में ले लें–एक प्रकार की स्वप्रशिक्षण प्रणाली।

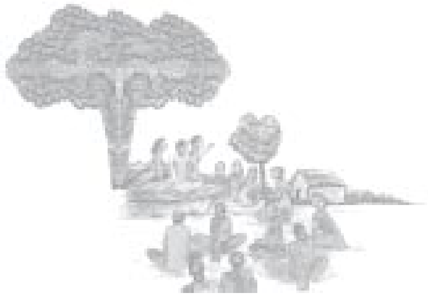

अध्याय–5

कार्यक्रम प्रबंधन, मूल्यांकन और पर्यवेक्षण के परिणाम

5.1 कार्यक्रम प्रबंध

कार्यक्रम प्रबंध विकेन्द्रीकृत किया जाएगा और उसे स्थानीय जरूरतों के लिए अनुकूलित किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर एनआईआरडी, एक संयुक्त प्रबंध समूह में जोकि कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर नजर रखेगा एमओपीआर के साथ निकट रूप से काम करेगा। प्रशिक्षण के पूर्णकालिक प्रबंधकों का एक कोर दल राज्य स्तर पर ही और बेहतर हो कि एसआईआरडी में स्थापित किया जाए। राज्यस्तरीय प्रशिक्षण प्रबंध समिति प्रशिक्षण, रूपरेखा के कार्यान्वयन की समीक्षा और पर्यवेक्षण के लिए नीतिगत मार्गनिर्देश देने के लिए जिम्मेदार होगी। कार्यक्रम प्रबंध के विशिष्ट पक्षों पर नजर रखने के लिए अलग उप–समितियां स्थापित की जाएंगी जिनका विवरण तालिका 12 में दिया गया है।

तालिका 12

समिति का नाम	कर्त्तव्य
पाठ्यचर्या समिति	यह समिति प्रशिक्षण डिजाइन जिसमें प्रशिक्षण की अंतर्वस्तु और प्रक्रिया शामिल होगी तैयार करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। साथ ही यह समिति विकास, निर्माण और प्रसार के लिए कोर तथा पूरक पठन/प्रशिक्षण सामग्री भी अभिज्ञात कर सकती है।
पर्यवेक्षण, मूल्यांकन और प्रलेखन समिति	यह समिति पर्यवेक्षण और मूल्यांकन के लिए सूचक अभिज्ञात करेगी। साथ ही यह समिति आयोजित किए जाने वाले विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रलेखन और मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त एजेंसियां भी अभिज्ञात करेंगी।
वित्त और लेखा समिति	यह समिति प्रशिक्षण के लिए प्रदत्त निधियों के प्रयोग का पर्यवेक्षण करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि प्रदत्त निधियों की नियमित और नियतकालिक लेखा–परीक्षा की जाए। यह समिति प्रशिक्षण निधियों के मामले में यथाअपेक्षित उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की समय पर प्रस्तुति सुनिश्चित करेगी।

जिला स्तर पर पंचायत प्रतिनिधियों, संसाधन व्यक्तियों और एनजीओ प्रतिनिधियों के हमजोली समूहों को प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने, अंतर्वस्तु का डिजाइन, मूल्यांकन फार्म और पंचायतों के प्रशिक्षणोत्तर निष्पादन में सहयोजित किया जा सकता है।

5.2 मूल्यांकन

प्रशिक्षण का मूल्यांकन अनिवार्यतः ऐसे संस्थानों द्वारा किया जाना चाहिए जो प्रशिक्षण का आयोजन नहीं करते। प्रशिक्षण संस्थानों को स्व–मूल्यांकन करना चाहिए। एनआईआरडी जैसे चुनिंदा विख्यात राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों को स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं को अभिज्ञात करने के लिए नोडल एजेंसी (एजेंसियां) बनने का कार्य सौंपा जा सकता है। इस तरह के संस्थानों को नियतकालिक मूल्यांकन करने चाहिए जिससे कि इस बात का पता लगाया जा सके कि क्या पंचायत सदस्यों को समय पर और सही ढंग से प्रशिक्षित किया जा चुका है और पाठ्यक्रम संशोधन पर सलाह दी जा सके। मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार संस्थान स्व–मूल्यांकन तथा प्रशिक्षण के प्रभाव मूल्यांकन – दोनों के लिए एक सांचा तैयार करेगा। रूपरेखा कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण और मूल्यांकन के तंत्र में निम्न शामिल होंगे:

(क) आयोजित प्रशिक्षण कार्यशालाओं की संख्या, उपस्थिति, महिलाओं तथा एससी/एसटी

प्रतिनिधियों की उपस्थिति और सहभागिता, रेडियो/फिल्मों का प्रयोग, उपग्रह प्रशिक्षण के प्रयोग आदि जैसे क्रियाकलापों के अर्थों में मात्रात्मक और मापे जा सकने योग्य परिणाम।

(ख) निम्न अर्थों में परिणामः

(i) पंचायतों, विशेष रूप से ग्राम पंचायतों को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने में उपलब्ध कराए गए सुविधाकरण का स्तर; तथा

(ii) पंचायत स्तर पर क्रियाकलापों के आयोजन में प्रवृत्यात्मक बदलाव अथवा संवर्द्धन तथा सेवा आपूर्ति का स्तर।

5.2 परिणामों का पर्यवेक्षण

परिणामों का मूल्यांकन गुणवत्तात्मक प्राचलों के विस्तृत विश्लेषण के संदर्भ में किए जाने की जरूरत है। परिणामों के पर्यवेक्षण के लिए मानदंड भी चुने जाएंगे जिससे कि वह स्पष्टतः अभिज्ञेय, प्रेक्षणीय, सत्यापनयोग्य और परिमाणनीय हों। इस संबंध में नई अनुसंधान प्रविधि, पर्यवेक्षण विधियों और संकेतकों के डिजाइन में सतत नवाचार की जरूरत है जिससे कि प्रशिक्षण के प्रभाव को कारगर ढंग से मापा जा सके। यह निर्धारित करने के लिए कि पंचायतों की क्षमता किस सीमा तक प्रकट की जा चुकी है, कुछेक पक्षों का मूल्यांकन किया जा सकता है जो निम्नानुसार हैः

(क) प्रशिक्षण ने, किस तरह विशेष रूप से ग्राम सभा, वार्ड सभा, सामाजिक आडिट आयोजित करने के संदर्भ में अधिक प्रभावी सामुदायिक सहभागिता को समर्थ बनाया है

(ख) प्रशिक्षण ने, पंचायतों में स्थायी समितियों के कार्यकरण को किस तरह प्रभावित किया है

(ग) प्रशिक्षण ने कर्मचारियों, पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों और लोगों के बीच भागीदारी को किस तरह प्रेरित किया है

(घ) स्वयं पंचायत के भीतर तथा ग्राम सभा – दोनों में निर्णय लेने में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को व्यवहार में लाने में पंचायतों द्वारा किए गए प्रयास

(ड.) प्रशिक्षण ने, सहभागितापूर्ण योजनाएं तैयार और मंजूर करने के काम को किस तरह सुविधापूर्ण बनाया है

(च) कार्यान्वयन प्रक्रिया, विशेष रूप से सांविधिक क्रियाविधियों के अनुपालन से जुड़े अनेक निर्णय लेना

(छ) जवाबी कार्रवाई के अर्थों में जवाबदेही में सुधार

(ज) लोक शिकायतों की ओर ध्यान देना

(झ) ग्राम पंचायत बैठकों तथा निर्णयों में वार्ड सदस्यों द्वारा सहभागिता

(ञ) ग्राम पंचायत के निर्णय लेने में ग्राम सभा सदस्यों की सहभागिता

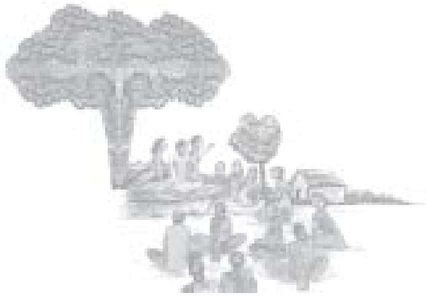

अध्याय 6

रूपरेखा के कार्यान्वयन की लागत का अनुमान

6.1 राजस्व लागत

रूपरेखा के लिए लागत अनुमान तैयार करते समय अनेक पक्षों को ध्यान में रखने की जरूरत है। रूपरेखा के कार्यान्वयन की लागतों में पूंजीगत और राजस्व लागत शामिल रहती है। आदर्शतः पूंजीगत लागतों का निवेश कार्यान्वयन के पहले वर्ष के दौरान किया जाना होता है क्योंकि रूपरेखा के अधीन प्रशिक्षण की प्रक्रिया में सतत सुधार और परिष्कार होता रहेगा। जबकि पहले वर्ष का प्रशिक्षण प्रत्येक हितधारक को कार्यक्रम संचालित करने के लिए अपेक्षित बुनियादी न्यूनतम इन्पुट प्रदान करने के लिए होगा, पहले वर्ष के अनुभव दूसरे वर्ष के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में काफी संशोधन ला सकते हैं। माड्यूल, प्रशिक्षण समूह और प्रशिक्षण कार्यनीतियां आदि बदल जाएंगी जिस कारण लागत अनुमानों में संशोधन किया जाना होगा। कुछ खर्चे कुछ वर्षों में एक बार किए जाने होते हैं जैसेकि मुद्रित और श्रृव्य–दृश्य सामग्री तैयार करना। इन खर्चों का भुगतान पहले वर्ष में किए जाने का प्रस्ताव है। उपर्युक्त कारणों से प्रशिक्षण के पहले वर्ष और बाद के वर्षों की राजस्व लागतें अलग–अलग होंगी। जिन घटकों के लिए लागतों का अनुमान लगाया जाता है उनके ब्यौरे नीचे तालिका 13 में दिए गए हैं।

तालिका 13

पूंजीगत लागत (पहले वर्ष में अग्रिम रूप से निवेश किए जाने के लिए)	राजस्व लागतें	
	पहले वर्ष में कवर की जाने वाली मदें	दूसरे वर्ष से कवर की जाने वाली वार्षिक मदें
उपग्रह प्रशिक्षण सुविधाएं	मास्टर संसाधन व्यक्तियों के लिए प्रवेशकालीन पाठ्यक्रम	संसाधन व्यक्तियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम
पंचायतों में कंप्यूटर हार्डवेयर की स्थापना	1(क): आधारिक पाठ्यक्रम	3(ड.): वार्षिक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम
मध्यवर्ती पंचायत स्तरीय संसाधन केन्द्र	1(ख): बुनियादी कार्यात्मक पाठ्यक्रम	3(च): अभिज्ञात बीकन पंचायतों के दौरे
एनआईआरडी का सुदृढ़ीकरण (अथवा पंचायती राज से संबंधित मुद्दों से जुड़े राष्ट्रीय स्तर के अन्य संस्थान	1(ग): कार्यात्मक साक्षरता पाठ्यक्रम	3(क): ग्राम सभा – स्तरीय अभियान
एसआईआरडी/पीआरटीआई का सुदृढ़ीकरण	2(क): क्षेत्रीय रूप से केन्द्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम	3(झ): प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम परिणामों का पर्यवेक्षण
	3(घ): पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का नेटवर्क निर्माण	
	2(ख): आईसीटी कौशलों का निर्माण	
	फिल्म तथा इलेक्ट्रोनिक सामग्री	कार्य अनुसंधान
	मुद्रित सामग्री	
	पहले वर्ष के बाद साझा मदें	
	3(ख): पंचायती राज टीवी चैनल और रेडियो कार्यक्रम	
	3(ग): पंचायती राज सूचना–पत्र	
	3(छ): मध्यवर्ती पंचायत–स्तरीय संसाधन केन्द्र	
	3(ज): हेल्पलाइन	
	प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रबंध	

पूंजीगत लागतों से संबंधित लागत नीचे तालिका 14 में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 14

तालिका 14 (क–1) सभी राज्यों में उपग्रह प्रशिक्षण सुविधाएं स्थापित करने की लागत (विकल्प 1)

मद	प्रति यूनिट लागत (रुपए करोड़ों में)	यूनिटों की संख्या	यूनिट का स्तर	कुल लागत
उपग्रह स्टुडियो	5	24	प्रति राज्य एक	120
उपग्रह अभिग्राही केन्द्र	0.007	240000	प्रति ग्राम पंचायत एक	1680
विविध निर्माण कार्य (विद्युतीकरण, प्रशिक्षण हाल आदि)				200
योग				**2000**

उपर्युक्त गणनाएं प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर उपग्रह अभिग्राही केन्द्रों की अंततः पूर्ण कवरेज पर आधारित हैं। तथापि, शुरू में यदि उपग्रह प्रशिक्षण केन्द्र ब्लाक स्तर पर स्थापित किए जाते हैं तो नीचे दी गई तालिका के अनुसार लागत में भारी कमी आएगी।

तालिका 14(क–2): उपग्रह प्रशिक्षण के लिए पूंजीगत लागत: विकल्प 2

मद	प्रति यूनिट लागत (रुपए करोड़ों में)	यूनिटों की संख्या	यूनिट का स्तर	कुल लागत
उपग्रह स्टुडियो	5	24	राज्य	120
उपग्रह अभिग्राही केन्द्र	0.007	6100	प्रत्येक मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर एक	42.7
विविध निर्माण कार्य (विद्युतीकरण, प्रशिक्षण हाल आदि)				100
योग				**262.7**

वास्तविक जरूरत कहीं इसके बीच हो सकती है। अलग–थलग स्थानों में उप–ब्लाक स्तर पर यहां तक कि प्रत्येक पंचायत स्तर पर उपग्रह अभिग्राही केन्द्र रखना सार्थक है। दूसरे स्थानों के मामले में यदि उपग्रह प्रशिक्षण केन्द्र ब्लाक पंचायत–स्तर पर खोला जाता है तो काफी रहेगा।

तालिका 14(ख): पंचायतों में कंप्यूटर हार्डवेयर की स्थापना की लागत

मद	प्रति यूनिट लागत (रुपए करोड़ों में)	यूनिटों की संख्या	यूनिट का स्तर	कुल लागत (करोड़ रुपयों में)
कंप्यूटर हार्डवेयर	50,000	2,40,000	प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक	1200

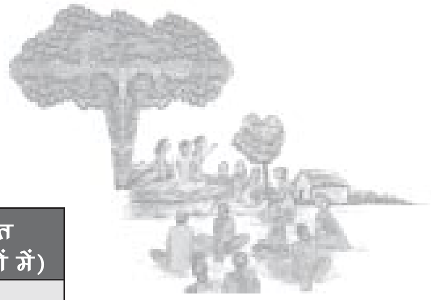

तालिका 14(ग): प्रशिक्षण आधारिक–तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए पूंजीगत लागत

मद	प्रति यूनिट लागत (रूपए करोड़ों में)	यूनिटों की संख्या	यूनिट का स्तर	कुल लागत (करोड़ रूपयों में)
मध्यवर्ती पंचायत स्तरीय संसाधन केन्द्र	10	6000	प्रत्येक मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर एक	600
एसआईआरडी / पीआरटीआई का सुदृढ़ीकरण	100	24	प्रत्येक राज्य में एक	24
एनआईआरडी का सुदृढ़ीकरण (अथवा पंचायती राज से संबंधित मुद्दों से जुड़े राष्ट्रीय स्तर के अन्य संस्थान)	1000	1		10

पूंजीगत निवेशों की सकल कुल लागतें

तालिका 15(क)

मदें	कुल लागत (रूपए करोड़ों में)
उपग्रह प्रशिक्षण (विकल्प 1)	2000
कंप्यूटर हार्डवेयर	1200
मध्यवर्ती पंचायत स्तरीय संसाधन केन्द्र	600
एसआईआरडी / पीआरटीआई का सुदृढ़ीकरण	24
एनआईआरडी का सुदृढ़ीकरण (अथवा पंचायती राज से संबंधित मुद्दों से जुड़े राष्ट्रीय स्तर के अन्य संस्थान)	10
योग	**3834**

अथवा

तालिका 15(ख)

मदें	कुल लागत (रूपए करोड़ों में)
उपग्रह प्रशिक्षण (विकल्प 2)	263
कंप्यूटर हार्डवेयर	1200
मध्यवर्ती पंचायत स्तरीय संसाधन केन्द्र	600
एसआईआरडी / पीआरटीआई का सुदृढ़ीकरण	24
एनआईआरडी का सुदृढ़ीकरण (अथवा पंचायती राज से संबंधित मुद्दों से जुड़े राष्ट्रीय स्तर के अन्य संस्थान)	10
योग	**2097**

यह भी ध्यातव्य है कि राज्यों में पहले से उपलब्ध मौजूदा आधारिक–तंत्र जैसेकि विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों, उपग्रह प्रशिक्षण केन्द्रों आदि की उपलब्धता की सीमा के आधार पर पूंजीगत लागतें भिन्न–भिन्न होगी।

6.2 राजस्व व्यय

जैसाकि पहले विस्तार से बताया जा चुका है प्रतिवर्ष कार्यान्वित किए जाने वाले कार्यक्रमों के मिश्रण के आधार पर राजस्व व्यय प्रतिवर्ष अलग–अलग होगा। पहले वर्ष की लागतों के ब्यौरे नीचे तालिका 16 में दिए गए हैं।

तालिका 16

क्र. सं.	मद	संख्या	गणना का आधार	कुल राशि (रुपए करोड़ों में)
1	मास्टर संसाधन व्यक्तियों के लिए प्रवेशकालीन पाठ्यक्रम	31500	प्रति सहभागी के लिए प्रतिदिन 1000 रुपए की दर से 60 दिन का पाठ्यक्रम (सभी लागतें शामिल हैं)	189.00
2	1(क): आधारिक पाठ्यक्रम	3000000	22 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा 8 लाख कर्मचारियों के लिए 150 रुपए प्रति दिन की दर से चार–दिवसीय पाठ्यक्रम	180.00
3	1(ख): बुनियादी कार्यात्मक पाठ्यक्रम	15000000	10 लाख निर्वाचित पदाधिकारियों और स्थायी समितियों के अध्यक्षों तथा 5 लाख कर्मचारियों के लिए 150 रुपए प्रति दिन की दर से चार–दिवसीय पाठ्यक्रम	90.00
4	1(ग): कार्यात्मक साक्षरता पाठ्यक्रम	800000	8 लाख निरक्षर व्यक्तियों के लिए प्रति निरक्षर व्यक्ति के वास्ते 1000 रुपए की एकमुश्त राशि	80.00
5	II(क): क्षेत्रीय केन्द्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम	3000000	22 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों और 8 लाख कर्मचारियों के लिए 150 रुपए प्रति दिन की दर से चार–दिवसीय पाठ्यक्रम	270.00
6	3(घ): पंचायत निर्वाचित प्रतिनिधियों का नेटवर्क निर्माण	24	प्रत्येक राज्य में आधारिक शुरूआती लागत 2 लाख रुपए के हिसाब से प्रत्येक राज्य में एक नेटवर्क	0.48
7	II(ख): आईसीटी कौशलों का निर्माण	500000	5 लाख व्यक्तियों के लिए 2000 रुपए प्रति व्यक्ति की ऊपरी सीमा	100
8	फिल्म और इलेक्ट्रोनिक सामग्री	25 फिल्म	आधे घंटे की प्रत्येक फिल्म के लिए 10 लाख रुपए	2.50
9	मुद्रित सामग्री		एकमुश्त आबंटन	5.00
10	III(ख): पंचायती राज टीवी चैनल और रेडियो कार्यक्रम		एकमुश्त आबंटन	5.00
11	III(ग): पंचायती राज सूचना–पत्र		10 रुपए प्रति सूचना–पत्र की दर से प्रतिमाह प्रति पंचायत को 5 प्रतियां (अर्थात प्रति पंचायत को एक वर्ष में 60 प्रतियां)	15.00
12	III(छ): मध्यवर्ती पंचायत स्तरीय संसाधन केन्द्र		प्रत्येक संसाधन केन्द्र के लिए 3 लाख रुपए का एकमुश्त आबंटन	18.00
13	III(ज): हेल्पलाइनें		प्रत्येक राज्य के लिए 1 करोड़ रुपए का एकमुश्त आबंटन	24.00
14	प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रबंध		कुल राजस्व लागत का 1 प्रतिशत	9.89
	योग			**988.87**

दूसरे वर्ष के बाद से प्रत्येक वर्ष से संबंधित राजस्व खर्चे तालिका 17 में दिए गए हैं।

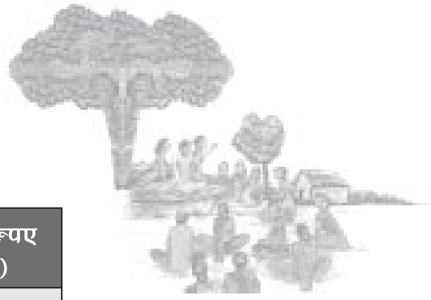

तालिका 17

क्र. सं.	मद	संख्या	गणना का आधार	कुल राशि (रुपए करोड़ों में)
1	संसाधन व्यक्तियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम	31500	प्रति सहभागी 200 रुपए प्रति दिन की दर से चार–दिवसीय पाठ्यक्रम (सभी लागते शामिल हैं)	2.52
2	III(ड.): वार्षिक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम	2200000	22 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए 150 रुपए प्रति दिन की दर से चार–दिवसीय पाठ्यक्रम	180.00
3	III(च): अभिज्ञात बीकन पंचायतों के दौरे	1000000	10 लाख निर्वाचित पदाधिकारियों और स्थायी समितियों के अध्यक्षों के लिए 150 रुपए प्रति दिन की दर से दो–दिवसीय पाठ्यक्रम	30.00
4	III(क): ग्राम सभा स्तरीय अभियान	800000	प्रत्येक जिले के लिए 5 लाख रुपए का एकमुश्त अनुदान	30.00
5	III(झ): प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम	100	प्रतिवर्ष 100 व्यक्तियों के लिए 10000 रुपए प्रति पाठ्यक्रम की दर से	0.10
10	III(ख): पंचायती राज टीवी चैनल तथा रेडियो कार्यक्रम		एकमुश्त आबंटन	5.00
11	III(ग): पंचायती राज सूचना–पत्र		10 रुपए प्रति सूचना–पत्र की दर से प्रतिमाह प्रति पंचायत को 5 प्रतियां (अर्थात प्रति पंचायत को एक वर्ष में 60 प्रतियां)	15.00
12	III(छ): मध्यवर्ती पंचायत स्तरीय संसाधन केन्द्र		प्रत्येक संसाधन केन्द्र के लिए 3 लाख रुपए का एकमुश्त आबंटन	18.00
13	III(ज): हेल्पलाइनें		प्रत्येक राज्य के लिए 1 करोड़ रुपए का एकमुश्त आबंटन	24.00
	परिणामों का पर्यवेक्षण		एकमुश्त आबंटन	2.00
	कार्य अनुसंधान		एकमुश्त आबंटन	2.00
14	प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रबंध		पहले वर्ष की लागत बनाए रखी जाएगी	9.89
	योग			**318.51**

6.3 प्रत्येक राज्य के लिए विस्तृत अनुमान

संप्रति, राज्यों के बीच कार्यक्रमों की कोटियों अथवा उनकी अवधियों को लेकर कोई मानकीकरण नहीं है। इसलिए राज्यों से जो प्रशिक्षण प्रस्ताव प्राप्त होते हैं वे केवल पंचायत सदस्यों के खंडशः प्रशिक्षण के लिए होते हैं। फलतः प्रशिक्षण की गुणवत्ता और जो कुछ प्रेषित किया जाता है उसे बनाए रखने की सीमा में व्यापक अंतर बना रहता है। यह रूपरेखा यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है कि क्षमता निर्माण के न्यूनतम मानकों की पूर्ति की जाए। इसलिए यह जरूरी है कि प्रत्येक राज्य एक ऐसी परियोजना रिपोर्ट तैयार करे जोकि रूपरेखा के प्रत्येक पक्ष के कार्यान्वयन पर दृष्टि डालती हो। राज्य–विशिष्ट रूपरेखा कार्यान्वयन परियोजना दस्तावेज तैयार करने में तकनीकी सहायता पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाएगी। राज्य–विशिष्ट परियोजनाएं पाठ्यक्रमों और क्रियाकलापों के उसी क्रम का अनुसरण करेंगी। तथापि,

पंचायतों को किए गए प्रत्यायोजन की मात्रा के आधार पर कतिपय विषयों के प्रशिक्षण के प्रति समर्पित दिनों की संख्या में अंतर हो सकता है। इसी प्रकार से जिन राज्यों में फिलहाल उपग्रह प्रशिक्षण सुविधाएं नहीं हैं, वहां एक दूरस्थ प्रशिक्षण नेटवर्क की स्थापना के अंतिम लक्ष्य के प्रति कार्य करते हुए प्रशिक्षण का एक अंतरिम सोपानी तंत्र अपनाया जा सकता है। राज्य–वार परियोजनाएं प्रशिक्षण के लिए पहले से उपलब्ध सुविधाओं को भी हिसाब में लेंगी जिससे कि केवल वर्द्धमान अपेक्षाओं की पूर्ति किए जाने की जरूरत रहेगी। इन सभी बातों को राज्य–वार मांग आकलन में गृहीत किया जाएगा जोकि राज्य विशिष्ट रूपरेखा डिजाइन का एक अविभाज्य अंग होगा।

6.4 कार्यक्रम के वित्तपोषण के लिए संसाधन

6.4.1 प्रशिक्षण प्रयासों के अभिसरण की जरूरत

केन्द्रीय सरकार सीएसएस के कार्यान्वयन पर लगभग 75,000 करोड़ रुपए खर्च करती है। प्रशिक्षण के लिए निधियां विभिन्न मंत्रालयों के बीच बांट दी जाती हैं जिनमें से प्रत्येक का एक अलग विशिष्ट डिजाइन, वर्णित उद्देश्य और लक्षित समूह होते हैं। इसलिए जहां कोई विशेष मंत्रालय, मंत्रालय की स्कीमों के कार्यान्वयन से जुड़े स्टाफ अथवा एनजीओ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के वास्ते आबंटन मंजूर कर सकता है, पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि जोकि कार्यक्रम के कार्यान्वयन के साथ महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं, वे अछूते रह सकते हैं अथवा उन्हें एकल संक्षिप्त ज्ञानार्जन का अवसर मिल पाता है। मंत्रालय पंचायत सदस्यों सहित सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए एकबारगी प्रशिक्षण के वास्ते एकल प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार कर सकते हैं जिसके फलस्वरूप संभारतंत्र और यहां तक कि प्रशिक्षण के लिए आधारिक–तंत्र भी दुगना करना पड़ सकता है। इसके अलावा विभिन्न मंत्रालयों के ऐसे क्षेत्रीय प्रशिक्षण का उस स्थिति में अधिक स्थायी महत्व होगा यदि ऐसा प्रशिक्षण एक आधारिक पाठ्यक्रम के बाद, जोकि आधार तैयार करता है आयोजित किया जाता है और जिसके बाद नेटवर्क निर्माण तथा ऐसे अन्य क्रियाकलाप किए जाते हैं जोकि प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित ज्ञान का समेकन करते हैं।

6.4.2 क्षमता निर्माण के लिए साझा निधि का सृजन

इस पृष्ठभूमि में केन्द्रीय सरकार के लिए अब यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि पंचायत राज मंत्रालय को प्रशिक्षण के लिए अलग–अलग निधियां आबंटित करने की बजाय वह क्षमता निर्माण संबंधी कार्यसूची को तत्काल और निश्चयात्मक ढंग से आगे बढ़ाएगी बशर्ते कि सभी सीएसएस पर किए गए सरकारी खर्च का एक प्रतिशत अव्यपगम्य समेकित कोर्पस में डाल दिया जाता है और सर्वथा एनसीबीएफ के कार्यान्वयन के लिए आबंटित कर दिया जाता है। यह विशेष रूप से 8 प्रमुख कार्यक्रमों में से जोकि राज्य सरकारों से पंचायतों को प्रत्यायोजन किए जाने के लिए 11वीं अनुसूची में अभिज्ञात 29 मामलों में शामिल हैं और ऐसी स्कीमों में शामिल हैं जोकि भारत निर्माण के छत्र के तहत आती हैं, 7 कार्यक्रमों में लागू होगा। ऐसा करने से पीआरआई के निर्वाचित प्रतिनिधियों और सभी स्तरों के कर्मचारियों का सुचारु और सतत प्रशिक्षण सुविधापूर्ण हो जाएगा। साथ ही इससे केन्द्रीय सरकार रूपरेखा को कार्यान्वित करने के लिए किसी भी राज्य विशिष्ट परियोजना के लिए समेकित मंजूरी जारी कर सकेगी जिसके लिए निधियां अव्यपगमनीय समेकित क्षमता निर्माण निधि में से वार्षिक आधार पर प्रदान की जाती रहेंगी।

6.5 विस्तृत राष्ट्रीय प्रशिक्षण डिजाइन का प्रसार

पीआरआई के निर्वाचित सदस्यों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम डिजाइन, जिसे एनआरआई द्वारा इकट्ठे रखा गया है उसे पंचायती राज मंत्रालय तथा एनआईआरडी द्वारा अपने वेबसाइट पर व्यापक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा जिससे कि व्यापक परामर्श, जनमत और फीडबैक प्राप्त हो सके।

पंचायती राज के लिए प्रशिक्षण कोष

स्थानीय शासन के लिए क्षमता विकास

www.pri-resources.in

इस वेबसाइट को पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं की क्षमतावर्धन हेतु एक संसाधन केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। यहां पर पंचायती राज से सम्बंधित शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं द्वारा विकसित प्रशिक्षण सामग्री, सम्बंधित प्रशिक्षकों की सूची, देश की अनन्य संस्थाओं में क्रियान्वित पंचायती राज से सम्बंधित शैक्षणिक कार्यक्रमों का विवरण, तथा अन्य उपयोगी जानकारी उपलब्ध करवाई गयी है।

पंचायती राज मंत्रालय

भारत सरकार

राष्ट्रीय क्षमता निर्माण रूपरेखा (एन.सी.बी.एफ.) का प्रकाशन पंचायती राज मंत्रालय द्वारा, यू.एन.डी.पी. समर्थित सी.डी.एल.जी. परियोजना के अंतर्गत किया गया है।